रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26032021-226114
CG-DL-E-26032021-226114

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 158] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 24, 2021/चैत्र 3, 1943
No. 158] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 24, 2021/CHAITRA 3, 1943

India Code

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2021

सा.का.नि. 207(अ).— केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 467 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की अनुसूची-III में 1 अप्रैल, 2021 से प्रवृत्त निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अनुसूची में,-

(क) भाग-I में,-

(i) पैरा 4 में, खंड (i) में शीर्षक "कंपनी का तुलन-पत्र और लाभ हानि विवरण तैयार करने के लिए साधारण अनुदेश" के अधीन, उप-शीर्षक "साधारण अनुदेश" के अंतर्गत, "होगा" शब्द के लिए "चाहिए" और "व्यापारावर्त" शब्द के लिए, दोनों स्थानों पर जहां यह आता है, "कुल आय" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) भाग-I में तुलन-पत्र,-

(क) शीर्षक "II आस्तियों" के अधीन, उप-शीर्षक "गैर-चालू आस्तियों", के अधीन "संपत्ति, संयंत्र और उपकरण" शब्दों के पश्चात् "और अमूर्त आस्तियां," शब्दों को अंत:स्थापित किया जाएगा और "मूर्त आस्तियां," शब्दों के लिए "संपत्ति, संयंत्र और उपकरण" शब्दों को रखा जाएगा,

(ख) पैरा 6 में, शीर्षक "तुलन-पत्र तैयार करने के लिए साधारण अनुदेश" के अधीन "टिप्पण" में,

(I) शीर्षक "क. शेयरपूंजी" के अधीन मद (ठ) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ड) कंपनी संप्रवर्तकों* की शेयरधारिता को निम्नानुसार प्रकट करेगी:

वर्ष के अंत में संप्रवर्तकों द्वारा धारित शेयर				वर्ष के दौरान परिवर्तन की प्रतिशत***
क्रम सं.	संप्रवर्तक का नाम	शेयरों की संख्या**	कुल शेयरों का प्रतिशत***	
कुल				

*यहां संप्रवर्तक से अभिप्रेत कंपनी अधिनियम, 2013 में की गई परिभाषा के अनुसार संप्रवर्तक है।

**शेयरों के प्रत्येक वर्ग के लिए अलग से ब्यौरे दिए जाएंगे।

***प्रतिशत परिवर्तन को वर्ष के प्रारंभ में निर्धारित संख्या के अनुसार संगणना की जाएगी अथवा यदि इसे वर्ष के दौरान पहली बार जारी किया गया है तब इसकी संगणना इसे जारी करने की तारीख के अनुसार संगणित किया जाएगा"।

(II) मद (iv) और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, शीर्षक "च. अल्पावधि ऋण" के अंतर्गत निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

"(v) दीर्घावधि ऋण की चालू परिपक्व राशि को अलग से प्रकट किया जाएगा।";

(III) शीर्षक "चक. व्यापारिक देयताओं" और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"चख. भुगतान के लिए देय व्यापार देयताएं

निम्नलिखित कालावधि की अनुसूची को भुगतान के लिए देय व्यापारिक देयताओं के लिए रखा जाएगा:-

व्यापारिक देयता अवधि अनुसूची

(राशि रुपये में)

विशिष्टियां	भुगतान की देय तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया राशि				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) एमएसएमई (ii) अन्य (iii) विवादित देय-एमएसएमई (iv) विवादित देय-अन्य					

#इसी प्रकार की सूचना वहां दी जाएगी जहां उसके प्रकटन के मामले में भुगतान की कोई देयता तारीख निर्दिष्ट नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में इसे संव्यवहार की तारीख से किया जाएगा।

बिल से इतर देयताओं को अलग से प्रकट किया जाएगा;

(IV) "छ. अन्य चालू देयताएं" शीर्षक के अंतर्गत मद (क) को लोप किया जाएगा;

(V) शीर्षक "झ. मूर्त आस्तियों" के अंतर्गत,-

(क) "मूर्त आस्तियां" शब्दों के स्थान पर, "संपत्ति, संयंत्र और उपकरण" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) मद (iii) के लिए निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(iii) पुन:मूल्यांकन के कारण (यदि परिवर्तन 10% अथवा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के प्रत्येक वर्ग के निवल वाहक मूल्य के कुल से अधिक है) के कारण व्यापारिक संयोजनों के जरिए रिपोर्टिंग अवधि दर्शाने वाले संयोजनों, निपटानों, अधिग्रहणों के प्रारंभ और अंत में आस्तियों के प्रत्येक वर्ग की सकल और निवल वाहक राशियों के समायोजन तथा अन्य संयोजनों और संबंधित हानियों/प्रतिलोमों को अलग से प्रकट किया जाएगा।"

(VI) शीर्षक "ञ. अमूर्त आस्तियों" के अंतर्गत मद (ii) के लिए निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(ii) पुन: मूल्यांकन के कारण परिवर्तित राशि, व्यापारिक संयोजनों के जरिए वर्धनों, निपटानों और अधिग्रहणों को दर्शाने वाली रिपोर्टिंग आस्तियों के प्रत्येक वर्ग की सकल और निवल वाहक राशियों के समायोजन (यदि परिवर्तन चालू आस्ति के प्रत्येक वर्ग के निवल वाहक मूल्य का कुल 10% या उससे अधिक हो) और अन्य संयोजनों तथा संबंधित अवमूल्यन और विकार हानियों अथवा विपरीत परिस्थितियों को अलग से प्रकट किया जाएगा।";

(VII) शीर्षक "ठ. दीर्घावधि ऋण और अग्रिम" के अंतर्गत मद (i) की उप-मद (ख) को विलोप किया जाएगा;

(VIII) शीर्षक "ड. के अंतर्गत अन्य गैर-चालू आस्तियों" के अंतर्गत,-

(क) मद संख्या (i) के पश्चात्, निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"(झक) प्रतिभूति जमा"

(ख) मद (iii) के पश्चात् निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"(iv) शेष व्यापार प्राप्य राशियों के लिए निम्नलिखित अवधि अनुसूचियां दी जाएंगी:

व्यापारिक प्राप्य अवधि अनुसूची

(राशि रुपये में)

विशिष्टियां	भुगतान की देय तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया राशि#					
	6 माह से कम	6 माह–1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
(i) अविवादित व्यापारिक प्राप्य राशियां -सही माना गया						
(ii) अविवादित व्यापारिक प्राप्य राशियां -संदेहात्मक						

माना गया (iii) विवादित व्यापारिक प्राप्य राशियां -सही माना गया (iv)विवादित व्यापारिक प्राप्य राशियां -संदेहात्मक माना गया						

#ऐसी सूचना वहां भी दी जाएगी जहां भुगतान की कोई भी देय तारीख विनिर्दिष्ट नहीं की गई है तथा ऐसे मामले में प्रकटन कार्य संव्यवहार की तारीख से किया जाएगा।

बिल से इतर देयताओं को अलग से प्रकट किया जाएगा।";

(IX) शीर्षक "त. व्यापारिक प्राप्यों के अंतर्गत", मद (i) के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्:

"(i) शेष व्यापारिक प्राप्यों के लिए, निम्नलिखित अवधि अनुसूचियों को दिया जाएगा:

व्यापारिक प्राप्य अवधि अनुसूची

(राशि रुपये में)

विशिष्टियां	भुगतान की देय तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया राशि#					
	6 माह से कम	6 माह–1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
(i) अविवादित व्यापारिक प्राप्य राशियां -सही माना गया (ii) अविवादित व्यापारिक प्राप्य राशियां -संदेहात्मक माना गया (iii) विवादित व्यापारिक प्राप्य राशियां -सही माना गया (iv) विवादित व्यापारिक प्राप्य राशियां -संदेहात्मक माना गया						

#ऐसी सूचना वहां भी दी जाएगी जहां भुगतान की कोई भी देय तारीख विनिर्दिष्ट नहीं की गई है। ऐसे मामले में प्रकटन कार्य संव्यवहार की तारीख से किया जाएगा।

बिल से इतर देयताओं को अलग से प्रकट किया जाएगा।";

IndiaCode

(X) शीर्षक "फ." के बाद, निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"फक. जहां कंपनी ने तुलन-पत्र तारीख पर बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से विशेष प्रयोजन के लिए लिए गए ऋण का उपयोग नहीं किया है, वहां कंपनी को ये ब्यौरे देने होंगे कि उनका उपयोग कहां किया गया है।";

(XI) शीर्षक "ब." में, "संपत्ति, संयंत्र और उपकरण" शब्दों के बाद, "अमूर्त आस्तियां", शब्दों को अंत:स्थापित किया जाएगा;

(XII) शीर्षक "भ." को लोप किया जाएगा;

(XIII) शीर्षक "भ." के बाद निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"**म. अतिरिक्त विनियामक सूचना**

(i) स्थावर संपत्ति का स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर नहीं है

कंपनी सभी स्थावर संपत्तियों (उन संपत्तियों को छोड़कर जहां कंपनी ने उन्हें पट्टे पर लिया है तथा पट्टे संबंधी करारों को पट्टाधारक के पक्ष में सम्यक निष्पादित किया गया हो) के ब्यौरे उपलब्ध कराएगी जिनके स्वामित्व विलेख में नीचे दिए गए प्रपत्र में कंपनी के नाम पर नहीं चढ़े हुए हैं तथा जहां ऐसी स्थावर संपत्ति संयुक्त रूप से अन्य व्यक्तियों के नाम पर चढ़ी हुई है, वहां इस संबंध में कंपनी की हिस्सेदारी की हद तक संबंधित ब्यौरों को प्रस्तुत किया जाएगा।

तुलन-पत्र में रूपरेखा की मद	संपत्ति की मद का वर्णन	सकल वाहक मूल्य	के नाम पर धारित विलेखनामें	क्या स्वामित्व विलेख धारक संप्रवर्तक/निदेशक अथवा संप्रवर्तक*/निदेशक का संबंधी/ अथवा संप्रवर्तक/निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति किस तारीख से धारित है	कंपनी** के नाम पर धारित न होने के कारण
पीपीई -	भूमि भवन	-	-	-	-	**यदि इस पर विवाद है तो उसका भी उल्लेख करें
विनिधान संपत्ति -	भूमि भवन					
पीपीई सक्रिय उपयोग से निवृत्त होकर निस्तारण के लिए धारित है -						
अन्य						

#यहां संबंधी से अभिप्रेत कंपनी अधिनियम, 2013 में की गई परिभाषा है।

*यहां संप्रवर्तक से अभिप्रेत कंपनी अधिनियम, 2013 में परिभाषित संप्रवर्तक है।

(ii) जहां कंपनी ने अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का पुनः मूल्यांकन कराया है, वहां कंपनी यह प्रकट करेगी कि क्या यह पुनःमूल्यांकन कंपनी का नियम 2 (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकनकर्ता) नियम, 2017 के अंतर्गत यथा-परिभाषित रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक के द्वारा किए गए मूल्यांकन पर आधारित है।

(iii) निम्नलिखित प्रकटन कार्य-कलाप वहां किए जाएंगे जहां ऋण अथवा अग्रिम राशि ऋण के रूप में होते हुए संप्रवर्तक, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पक्षों (कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यथा-परिभाषित) या तो पृथक रुप में अथवा संयुक्त रूप में किसी ऐसे व्यक्ति को दी गई है, जिसका विवरण निम्नानुसार हो:

(क) मांग पर भुगतान किए जाने योग्य अथवा

(ख) शोधन की किसी शर्तें अथवा अवधि को विनिर्दिष्ट किए बिना

उधार लेने वाले का प्रकार	शेष ऋण की प्रकृति के अनुसार ऋण अथवा अग्रिम राशि	ऋण की प्रकृति के अनुसार कुल ऋण और अग्रिम राशि की प्रतिशतता
संप्रवर्तक		
निदेशक		
केएमपी		
संबंधित पक्ष		

(iv) **पूंजी-कार्य प्रगति पर**

(क) पूंजी-कार्य प्रगति पर के लिए निम्नलिखित अवधि अनुसूची दी जाएगी:

सीडब्ल्यूआईपी अवधि अनुसूची

(राशि रुपये में)

सीडब्ल्यूआईपी	की अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल*
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगतिशील परियोजनाएं					
अस्थायी रूप से स्थगित परियोजनाएँ					

*कुल राशि का तुलन-पत्र में सीडबल्यूआईपी राशि के साथ मिलान किया जाएगा।

(ख) पूंजी-कार्य प्रगति पर, के लिए जिसके पूरा किए जाने की तारीख समाप्त हो चुकी है अथवा जिसकी लागत अपनी मूल योजना की तुलना में बढ़ गई है तब ऐसी स्थिति में निम्नलिखित **सीडब्ल्यूआईपी की पूर्णता अनुसूची** दी जाएगी **:

(राशि रुपये में)

सीडब्ल्यूआईपी	निम्नलिखित अवधि में पूरा करने के लिए			
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
परियोजना 1				
परियोजना 2 ”				

IndiaCode

**उन परियोजनाओं के ब्यौरे अलग से दिए जाएंगे जिनके कार्यकलाप लंबित कर दिए गए हैं।

(V) विकासाधीन अमूर्त आस्तियां

(क) विकासाधीन अमूर्त आस्तियों के लिए निम्नलिखित अवधि अनुसूची को दिया जाएगा*:

विकास अवधि अनुसूची के अंतर्गत अमूर्त आस्तियां

(राशि रुपये में)

विकास के अंतर्गत अमूर्त आस्तियां	की अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगतिशील परियोजनाएं					
अस्थायी रूप से स्थगित परियोजनाएँ					

(ख) विकासाधीन अमूर्त आस्तियों के संबंध में जिनकी कार्यावधि पूरी हो चुकी है अथवा जिनकी लागत उनकी मूल्य योजना की तुलना में ज्यादा हो गई है **वहां विकास पूर्णता अनुसूची के अंतर्गत अमूर्त आस्तियों** को प्रकट किया जाएगा**:

(राशि रुपये में)

विकासाधीन अमूर्त आस्तियां	में पूर्ण करने के लिए			
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
परियोजना 1				
परियोजना 2				

**जिन परियोजनाओं के कार्यकलाप लंबित कर दिए गए हैं उनके ब्यौरे पृथक रूप से दिए जाएंगे।

(vi) धारित बेनामी संपत्ति के ब्यौरे

बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उससे संबंधित नियम के अंतर्गत किसी बेनामी संपत्ति को धारित करने के लिए कंपनी के विरूद्ध जहां कोई कार्यवाही शुरू की गई है वहां कंपनी निम्नलिखित बातों को प्रकट करेगी :-

(क) अर्जन के वर्ष सहित ऐसी संपत्ति के ब्यौरे,

(ख) उससे संबंधित राशि,

(ग) फायदाप्रदों के ब्यौरे,

(घ) यदि संपत्ति अभिलेख में दर्ज है तब तुलन-पत्र में उस मद का उल्लेख किया जाएगा,

(ङ) यदि संपत्ति अभिलेख में दर्ज नहीं है तब संबंधित तथ्यों का उल्लेख कारणों सहित किया जाएगा,

(च) जहां कहीं इस विधि के तहत कंपनी के विरूद्ध संव्यवहार में विसंगति अथवा अंतरण के रूप में की गई है वहां उसके ब्यौरे प्रस्तुत किए जाएंगे,

(छ) कार्यवाहियों की प्रकृति, उसकी स्थिति और संबंधित कंपनी के विचार।

IndiaCode

(vii) जहां कंपनी ने चालू आस्तियों की प्रतिभूति के आधार पर बैंकों अथवा वित्तीय संस्थाओं से ऋण लिया है वहां निम्नलिखित को प्रकट किया जाएगा :-

(क) क्या बैंकों अथवा वित्तीय संस्थाओं के साथ कंपनी द्वारा फाइल की गई चालू आस्तियों से संबंधित तिमाही विवरणिकाएं अथवा विवरण बही खातों में दिए गए विवरण के अनुसार है।

(ख) यदि नहीं तो वास्तविक विसंगतियों, यदि कोई हैं, का सार पर्याप्त रूप से स्पष्ट किया जाए।

(viii) दुराग्रही चूककर्ता*

जहां कहीं कंपनी को किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था अथवा अन्य ऋणदाता द्वारा दुराग्रही चूककर्ता घोषित किया गया है वहां निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत किए जाएँगे:

(क) दुराग्रही चूककर्ता के रूप में की गई घोषणा की तारीख,

(ख) चूकों के ब्यौरे (चूकों की मात्रा और प्रकृति),

*"यहां "दुराग्रही चूककर्ता" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति अथवा जारीकर्ता जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दुराग्रही चूककर्ताओं से संबंधित दिशा-निर्देशों के अनुसार किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था (अधिनियम के तहत परिभाषित) अथवा उसके संघ द्वारा दुराग्रही चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत किया गया हो।

(ix) सूची से हटायी गई कंपनियों के साथ संबंध

जहां कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 के अंतर्गत सूची से हटायी गई कंपनियों के साथ कोई संव्यवहार किए हैं वहां कंपनी निम्नलिखित ब्यौरे प्रकट करेगी :-

सूची से हटायी गई कंपनियों का नाम	सूची से हटायी गई कंपनियों के साथ संव्यवहार की प्रकृति	शेष बकाया	सूची से हटायी गई कंपनियों के साथ संबंध, यदि कोई है, को प्रकट किया जाए
	प्रतिभूतियों में विनिधान		
	प्राप्य राशियां		
	देय राशियां		
	सूची से हटायी गई कंपनियों द्वारा धारित शेयर		
	अन्य बकाया शेष (विनिर्दिष्ट किया जाए)		

(x) **कंपनी रजिस्ट्रार के साथ प्रभारों अथवा ऋणमुक्ति का रजिस्ट्रीकरण**

जहां कहीं सांविधिक अवधि से आगे कंपनी रजिस्ट्रार के साथ किसी प्रभार अथवा भुगतान को रजिस्ट्रीकृत किया जाना है वहां उससे संबंधित विवरण और कारणों को प्रकट किया जाएगा।

(xi) कंपनियों के स्तरों की संख्या की अनुपालना

जहां कहीं कंपनी ने कंपनी (स्तरों की संख्या पर प्रतिषेध) नियम, 2017 के साथ पठित अधिनियम की धारा 2 के खंड (87) के अंतर्गत निर्धारित स्तर संख्या की अनुपालना नहीं की है वहां विनिर्दिष्ट स्तर और ऐसी अधोस्रोत कंपनियों में कंपनी से संबंध/धारित की सीमा में कंपनी का नाम और सीआईएन प्रकट किया जाएगा।

(xii) निम्नलिखित अनुपातों को प्रकट किया जाएगा

(क) चालू अनुपात,

(ख) ऋण-साम्या अनुपात,

(ग) ऋण सेवा व्याप्ति अनुपात,

(घ) साम्या अनुपात पर लाभ,

(ङ) सूचीकृत व्यापारावर्त अनुपात,

(च) व्यापार प्राप्य राशि व्यापारावर्त अनुपात,

(छ) व्यापार देयता व्यापारावर्त अनुपात,

(ज) निवल पूंजी व्यापारावर्त अनुपात,

(झ) निवल लाभ अनुपात,

(ञ) नियोजित पूंजी पर लाभ,

(ट) विनिधान पर लाभ।

कंपनी उपर्युक्त अनुपातों की संगणना के लिए अपनी मदों को अंश और मूल्याभिदायक के साथ मिलाकर स्पष्ट करेगी। पिछले वर्ष की तुलना में 25% से अधिक अनुपात के परिवर्तन के लिए और आगे स्पष्टीकरण प्रदान किया जाएगा।

(xiii) व्यवस्थाओं से संबंधित अनुमोदित योजना/योजनाओं की अनुपालना

जहां कहीं सक्षम प्राधिकारी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 237 के संबंध में किसी व्यवस्था या योजना को अनुमोदित किया गया है वहां कंपनी यह प्रकट करेगी कि ऐसी व्यवस्था वाली योजना की उपलब्धि कंपनी के खातों में दर्ज की जाए और इसके अलावा लेखा मानकों और इस संबंध में विचलन आधार के अनुसार उसे स्पष्ट भी किया जाए।

(xiv) ऋण ली गई निधियों और शेयर प्रीमियम का उपयोग :

(क) जहां कहीं कंपनी ने इस आशय के साथ (चाहे लिखित अथवा अन्यथा रूप में) विदेशी कंपनियों (मध्यस्थों) सहित किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) अथवा कंपनी (कंपनियों) के लिए निधियों को अग्रिम अथवा ऋण के रूप में लिया है अथवा उन निधियों का निवेश (चाहे वे ऋण ली हुई निधियां अथवा शेयर प्रीमियम हो अथवा कोई अन्य संसाधन अथवा निधियों की कोई अन्य प्रकार हो) किया हो और यह कि

(i) मध्यस्थ प्रत्यक्षत: अथवा अप्रत्यक्षतः व्यक्तियों को कंपनी की ओर से अथवा किसी अन्य ढंग से चिन्हित अन्य व्यक्तियों अथवा कंपनियों (अंतिम लाभार्थी) को ऋण देगा अथवा निवेश करेगा, या

(ii) अंतिम फायदाग्राहियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा अथवा ऐसा ही कोई अन्य आधार उपलब्ध कराएगा; "वहां कंपनी निम्नलिखित मामलों को प्रकट करेगी :-

(I) प्रत्येक मध्यस्थ के संपूर्ण ब्यौरों सहित मध्यस्थ के पास निवेश की गई अथवा ऋण के तौर पर ली गई अथवा अग्रिम दी गई निधि की तारीख और रकम।

(II) अंतिम फायदाग्राहियों के पूर्ण ब्यौरों सहित ऐसे मध्यस्थों द्वारा अन्य मध्यस्थों अथवा अंतिम लाभार्थियों को इससे आगे दी गई अग्रिम राशि अथवा दिए गए ऋण अथवा निवेश की गई राशि की तारीख और मात्रा।

(III) अंतिम फायदाग्राहियों को अथवा उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा अथवा ऐसा ही कोई अन्य आधार प्रदान करने की राशि और तारीख।

(IV) इस आशय की घोषणा करना कि विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) और कंपनी अधिनियम की निस्तारण संबंधित उपबंधों की ऐसे संव्यवहार के साथ पूर्ण अनुपालना की गई है और यह कि ऐसे संव्यवहार में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) के निवारण संबंधी युक्ति का उल्लंघन नहीं किया गया है।;

(ख) जहां कहीं किसी कंपनी ने इस आशय के साथ (लिखित अथव अन्यथा रुप में) विदेशी कंपनियों (वित्त पोषण पक्ष) सहित किसी व्यक्ति/व्यक्तियों अथवा कंपनी/कंपनियों से कोई निधि प्राप्त की है कि कंपनी

(i)प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः वित्त पोषण पक्ष (अंतिम फायदाग्राही) की ओर से अथवा किसी अन्य तरीके से अन्य चिन्हित व्यक्तियों अथवा कंपनियों को ऋण देगी अथवा उनके साथ निवेश करेगी। या

(ii) अंतिम लाभार्थी की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा अथवा ऐसा ही कोई अन्य आधार प्रदान करेगी वहां कंपनी को निम्नलिखित बातें प्रकट करनी होगी :-

(I) प्रत्येक वित्त पोषण के ब्यौरों सहित वित्त पोषण पक्षों से प्राप्त निधि की तारीख और राशि।

(II) अन्य पक्षों अथवा फायदाग्राहियों के ब्यौरों सहित अन्य मध्यस्थों अथवा फायदाग्राहियों को और अधिक अग्रिम दी गई निधि अथवा दिए गए ऋण अथवा निवेश किए गए धन की तारीख और राशि।

(III) अंतिम फायदाग्राहियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा अथवा ऐसा ही कोई अन्य आधार प्रदान करने की राशि और तारीख।

(IV) इस आशय की घोषणा करना कि विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) के उपबंधों और कंपनी अधिनियम के ऐसे आदान-प्रदान के निमित्त अनुपालना की गई है और इन आदान-प्रदानों के द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) का उल्लंघन नहीं हुआ है।;

(iii) भाग-II में- लाभ और हानि का कथन,–

(क) "III.कुल राजस्व (I+II)" शीर्ष के तहत, "राजस्व" शब्द के स्थान पर "आय" शब्द रखा जाएगा;

(ख) "लाभ और हानि का कथन तैयार करने के लिए साधारण अनुदेश" शीर्षक के तहत –

(I) उप-मद (ख) के पश्चात्, पैरा 2, मद (क) में, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(खक) प्राप्त अनुदानों अथवा दानों (धारा 8 से संबंधित कंपनियों के मामले में ही सुसंगत)";

(II) मद (viii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद पैरा "5. अतिरिक्त सूचना", में निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ix) अप्रकटित आय

कंपनी आयकर अधिनियम, 1961 (यथा अनुसंधान अथवा सर्वेक्षण अथवा आयकर अधिनियम, 1961 के किसी अन्य सुसंगत उपबंध) के तहत कर मूल्यांकन वर्ष के दौरान आय के रूप में गैर-प्रस्तुत अथवा अप्रकटित बही खातों में गैर-अभिलिखित किसी संव्यवहार से संबंधित ब्यौरों को प्रस्तुत करेगी जब तक कि उसे अन्यथा किसी योजना के तहत ऐसे प्रकटन के लिए सुरक्षा प्राप्त न हो और वह यह भी बताएगी कि क्या पूर्व में गैर-अभिलिखित आय तथा संबंधित आस्तियों को आलोच्य वर्ष के दौरान बही खातों में अभिलिखित किया गया है अथवा नहीं।;

(x) कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

जहां कहीं कंपनी धारा 135 के क्षेत्राधिकार में आती है वहां सीएसआर संबंधी कार्यकलापों के बारे में निम्नलिखित को प्रकट किया जाएगा, अर्थात्:-

(क) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा व्यय की गई अपेक्षित रकम,

(ख) व्यय की गई रकम,

(ग) वर्ष के अंत में कमी,

(घ) पूर्ववर्ती वर्ष की कमी को मिलाकर कुल योग,

(ङ) कमी का कारण,

(च) सीएसआर से संबंधित कार्यकलापों की प्रकृति,

(छ) संबंधित पक्ष के संव्यवहार के ब्यौरे अर्थात् संबंधित लेखा-मानकों के अनुसार सीएसआर व्यय के संबंध में कंपनी द्वारा नियंत्रित न्यास को दिया गया अंशदान,

(ज) जहां कहीं संविदात्मक दायित्व को ग्रहण करने के बाद की गई देयता के संबंध में उपबंध बनाए गए हैं वहां वर्ष के दौरान उन उपबंधों के तहत किए गए संव्यवहार को अलग से प्रकट किया जाएगा।

(xi) क्रिप्टो करेंसी अथवा वर्चुअल करेंसी के ब्यौरे

जहां कहीं कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी अथवा वर्चुअल करेंसी में निवेश किया है वहां निम्नलिखित को प्रकट किया जाएगा:-

(क) क्रिप्टो करेंसी अथवा वर्चुअल करेंसी के समावेश के साथ किए गए संव्यवहार पर लाभ अथवा हानि,

(ख) रिपोर्टिंग तारीख के अनुसार धारित करेंसी की राशि,

(ग) क्रिप्टो करेंसी/वर्चुअल करेंसी में किए गए व्यापार अथवा किए गए निवेश के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति से प्राप्त जमा राशि अथवा अग्रिम राशि।";

(ख) भाग II में,

(i) पैरा 5 में, "इंडएएस के अनुपालनार्थ कंपनी के वित्तीय ब्यौरे तैयार करने के लिए अपेक्षित साधारण अनुदेश" शीर्षक के तहत व्यापारावर्त, शब्द के लिए दोनों स्थानों पर जहां यह आता है "कुल आय" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) भाग-I में– तुलन-पत्र,-

(क) "साम्या और देयताएं" शीर्षक के अंतर्गत, उप-शीर्षक "देयताओं" में,-

(I) मद "(1) गैर-चालू देयताओं" की उप-मद "(क) वित्तीय देयताओं" को (i) के बाद निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ik) पट्टा देयताएं"

(II) मद (2) "चालू देयताओं" की उप-मद "(क) वित्तीय देयताओं" में (i) के बाद निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ik) पट्टा देयताएं"

(ख) "साम्या में परिवर्तन का कथन" शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"साम्या में परिवर्तनों का कथन

कंपनी का नाम

क. साम्या शेयरपूंजी

(I) चालू रिपोर्टिंग अवधि

चालू रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में शेष	पूर्ववर्ती अवधि में हुई त्रुटियों के कारण साम्या शेयरपूंजी में परिवर्तन	चालू रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में पुनः उल्लिखित शेष	चालू वर्ष के दौरान साम्या शेयर पूंजी में परिवर्तन	चालू रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष

(2) पूर्ववर्ती रिपोर्टिंग अवधि

पूर्ववर्ती रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में शेष	पूर्ववर्ती अवधि में हुई त्रुटियों के कारण साम्या शेयरपूंजी में परिवर्तन	चालू रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में पुनः उल्लिखित शेष	पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान साम्या शेयर पूंजी में परिवर्तन	पूर्ववर्ती रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष

ख. अन्य साम्या

(I) चालू रिपोर्टिंग अवधि

			आरक्षित निधि और अधिशेष											
	शेयर आवेदन राशि-लंबित आबंटन	**मिश्रित वित्तीय संसाधनों का साम्या घटक**	आरक्षित पूंजी	प्रतिभूति प्रीमियम	अन्य आरक्षित पूंजी (प्रकार विनिर्दिष्ट करें)	प्राप्त उपार्जन	अन्य व्यापक आय स्रोतों के जरिए ऋण निपटान	अन्य व्यापक आय स्रोतों के जरिए साम्या निपटान	नकदी प्रवाह से संबंधित प्रभावी अंश	पुन:मूल्यांकन अधिशेष	विदेशी प्रचालन से संबंधित वित्तीय विवरण के संबंध में विनिमय	अन्य व्यापक आय स्रोतों से जुड़ी अन्य मदें (किस्म विनिर्दिष्ट करें)	**शेयर वारेंट्स पर प्राप्त धन**	**कुल**

											भिन्नताएं			
चालू रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में शेष														
लेखागत नीति अथवा पूर्ववर्ती अवधि में हुई त्रुटियों में परिवर्तन														
चालू रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में पुनःउल्लिखित शेष														
चालू वर्ष के लिए कुल व्यापक आय														
लाभांश														
धारित उपार्जन में अंतरण														
कोई अन्य परिवर्तन (विनिर्दिष्ट करे)														
चालू रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष														

IndiaCode

(2) पूर्ववर्ती रिपोर्टिंग अवधि

			आरक्षित राशि और अधिशेष											
	शेयर आवेदन राशि-लंबित आबंटन	**मिश्रित वित्तीय संसाधनों के साम्या घटक**	आरक्षित पूंजी	प्रतिभूति प्रीमियम	अन्य आरक्षित पूंजी (प्रकार विनिर्दिष्ट करें)	प्राप्त उपार्जन	अन्य व्यापक आय स्रोतों के जरिए ऋण निपटान	अन्य व्यापक आय स्रोतों के जरिए साम्या निपटान	नकदी प्रवाह से संबंधित प्रभावी अंश	पुन:मूल्यांकन अधिशेष	विदेशी प्रचालन से संबंधित वित्तीय विवरण के संबंध में विनिमय भिन्नताएं	अन्य व्यापक आय स्रोतों से जुड़ी अन्य मदें (किस्म विनिर्दिष्ट करें)	**शेयर वारेंट्स पर प्राप्त धन**	**कुल**
चालू रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में शेष														
लेखागत नीति अथवा पूर्ववर्ती अवधि में हुई त्रुटियों में परिवर्तन														
चालू रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में पुनःउल्लिखित शेष														
पूर्ववर्ती वर्ष के लिए व्यापक आय														

IndiaCode

अंशदान														
धारित उपार्जन में अंतरण														
कोई अन्य परिवर्तन (विनिर्दिष्ट करे)														
चालू रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष														

टिप्पण: लाभ अथवा हानि के जरिए उचित मूल्य पर निर्धारित वित्तीय देयताओं के बारे में ऋण संबंधी जोखिम की बाबत परिभाषित लाभ योजनाओं और उचित मूल्य परिवर्तनों के पुन: मापन को संबंधित टिप्पण में प्रासंगिक धन राशि के साथ ऐसी मदों से जुड़े पृथक प्रकटन सहित धारित उपार्जन के एक भाग के रूप में मान्यता दी जाएगी या आरक्षित और अधिशेष के तहत पृथक कॉलम में दर्शाया जाएगा।

IndiaCode

(ग) "तुलन-पत्र तैयार करने के लिए साधारण अनुदेश" शीर्षक के अंतर्गत "टिप्पण" में,-

(I) पैरा 6 में,-

(क) "क. गैर-चालू आस्तियों" शीर्षक के अंतर्गत,-

(i) मद (iii) के लिए "I. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण" उप-शीर्षक के अंतर्गत निम्नलिखित मद को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(iii) पुनःमूल्यांकन (यदि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के प्रत्येक वर्ग का निवल वाहक मूल्य 10 प्रतिशत अथवा उससे अधिक है) और अन्य संयोजनों और संबंधित अवक्षयण और न्यूनता हानियों अथवा उत्क्रमण के कारण व्यापार संयोजनों और परिवर्तन राशि के जरिए वर्धनों, निपटानों, अधिग्रहणों को प्रकट करने वाली रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ और अंत में आस्तियों के प्रत्येक वर्ग के निवल और सकल राशि से संबंधित समायोजन को पृथक रूप से प्रकट किया जाएगा।";

(ii) मद (ii) के लिए "IV. अन्य गैर-चालू आस्तियां", उप-शीर्षक के तहत निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्:-

"(ii) पुनःमूल्यांकन (यदि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के प्रत्येक वर्ग का निवल वाहक मूल्य 10 प्रतिशत अथवा उससे अधिक है) और अन्य संयोजनों और संबंधित अवक्षयण और न्यूनता हानियों अथवा उत्क्रमण के कारण व्यापारिक संयोजनों और परिवर्तन राशि के जरिए वर्धनों, निपटानों, अधिग्रहणों को प्रकट करने वाली रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ और अंत में आस्तियों के प्रत्येक वर्ग के निवल और सकल राशि से संबंधित समायोजन को अलग-अलग प्रकट किया जाएगा।"

(iii) मद (iii) के पश्चात् "VII. व्यापार प्राप्य राशियां" उप-शीर्षक के तहत निम्नलिखि मद को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(iv) व्यापार प्राप्य बकाया के स्थान पर निम्नलिखित अवधि अनुसूची दी जाएगी:

व्यापारिक प्राप्य अवधि अनुसूची

(राशि रुपये में)

विशिष्टियां	भुगतान की देय तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया राशि#					
	6 माह से कम	6 माह–1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
(i) अविवादित व्यापारिक प्राप्य राशियां-सही माना गया (ii) अविवादित व्यापारिक प्राप्य राशियां-जिनमें क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। (iii) अविवादित व्यापारिक प्राप्य राशियां- क्षीण क्रेडिट (iv) विवादित व्यापारिक						

प्राप्य राशियां- सही माना गया (v) विवादित व्यापारिक प्राप्य राशियां-जिनमें क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। (vi) विवादित व्यापारिक प्राप्य राशियां-क्षीण क्रेडिट						

#इसी प्रकार की सूचना वहां भी दी जाएगी जहां भुगतान की देय तारीख विनिर्दिष्ट नहीं की गई है। ऐसे मामले में प्रकटन प्रक्रिया संव्यवहार की तारीख से होगी।

बिल से इतर देयताओं को पृथक रूप से प्रकट किया जाएगा";

(iv) उप-मद (i) में "VIII. ऋण" शीर्षक के तहत उप-मद (क) को लोप किया जाएगा;

(v) उप-शीर्षक "IX" और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"IX. अन्य वित्तीय आस्तियां

(i) प्रतिभूति जमाएं

(ii) 12 महीने से अधिक परिपक्वता के साथ बैंक जमाएं

(iii) अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाए)";-

(ख) "ख. चालू आस्तियां" शीर्षक के अंतर्गत,-

(i) मद (iii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद "III. व्यापार प्राप्य राशियां", उप-शीर्षक में निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

"(iv) व्यापार प्राप्य बकाया के लिए, निम्नलिखित अवधि अनुसूची को दिया जाएगा :

व्यापारिक प्राप्य अवधि अनुसूची

(राशि रुपये में)

विशिष्टियां	भुगतान की देय तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया राशि#					
	6 माह से कम	6 माह–1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
(i) अविवादित व्यापारिक प्राप्य राशियां-सही माना गया (ii) अविवादित व्यापारिक प्राप्य राशियां-जिनमें क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। (iii) अविवादित व्यापारिक प्राप्य राशियां- क्षीण क्रेडिट						

IndiaCode

(iv) विवादित व्यापारिक प्राप्य राशियां- सही माना गया (v) विवादित व्यापारिक प्राप्य राशियां-जिनमें क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। (vi) विवादित व्यापारिक प्राप्य राशियां-क्षीण क्रेडिट						

ऐसी ही सूचना वहां भी दी जाएगी जहां भुगतान की देय तारीख विनिर्दिष्ट नहीं की गई है तथा ऐसे मामले में प्रकटीकरण संव्यवहार की तारीख से होगा।

बिल से इतर देय राशि को पृथक रूप से प्रकट किया जाएगा";

(ii) मद (i) में "V. ऋण" उप-शीर्षक के अंतर्गत उप-मद (क) को लोप किया जाएगा;

(iii) उप-शीर्षक "V. ऋण" और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"Vक. अन्य वित्तीय आस्तियां : यह सर्व अनन्य शीर्षक है जिसमें वे वित्तीय आस्तियां शामिल हैं जो अन्य वित्तीय आस्ति प्रवर्गों यथा-प्रतिभूति जमा के साथ मेल नहीं खाती हैं।"

(ग) शीर्षक "घ. साम्या" के अंतर्गत मद (ठ) के बाद "I. साम्या शेयर पूंजी" उप-शीर्षक में निम्नलिखित मद को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(ड) कंपनी संप्रवर्तकों की शेयरधारिता* निम्नानुसार प्रकट करेगी :

वर्ष के अंत में संप्रवर्तकों द्वारा धारित शेयर				वर्ष के दौरान परिवर्तन %***
क्र.सं.	संप्रवर्तक का नाम	शेयरों की संख्या**	कुल शेयरों का प्रतिशत**	
कुल				

* यहां संप्रवर्तक से अभिप्रेत कंपनी अधिनियम, 2013 में परिभाषित संप्रवर्तक है।

**शेयरों के प्रत्येक वर्ग के लिए अलग से ब्यौरे दिए जाएंगे।

***प्रतिशत में परिवर्तन की गणना वर्ष के प्रारंभ में संबंधित संख्या के बारे में की जाएगी अथवा यदि इसे वर्ष के दौरान पहली बार जारी किया गया है तब इसकी गणना इसको जारी करने की तारीख से की जाएगी।";

(घ) मद (i) में, उप-शीर्षक "I. उधार" में "ङ. गैर-चालू देयताओं", शीर्षक के अंतर्गत उप-मद (च) को लोप किया जाएगा;

(ङ) "च. चालू देयताएं" शीर्षक के अंतर्गत,-

(i) मद (iv) के पश्चात् "झ. उधार" उप-शीर्षक में निम्नलिखित मद को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(v) दीर्घ कालिक उधार की चालू परिपक्व राशियों को अलग से प्रकट किया जाएगा"

(ii) "II. अन्य वित्तीय देयताएं" उप-शीर्षक के अंतर्गत मद (क) और मद (ख) को लोप किया जाएगा।";

IndiaCode

(च) "चक. व्यापार देयताएं", शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"चख. भुगतान के लिए व्यापार संदेय के लिए निम्नलिखित अवधि अनुसूची को दिया जाएगा:

व्यापारिक देयता अवधि अनुसूची

(राशि रुपये में)

विशिष्टियां	भुगतान की देय तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया#				
	1 वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष तक	2 से 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i)एमएसएमई (ii)अन्य (iii)विवादित देय-एमएसएमई (iv) विवादित देय-अन्य					

ऐसी ही सूचना वहां दी जाएगी जहां भुगतान की कोई देय तारीख नहीं है उस मामले में प्रकटीकरण संव्यवहार की तारीख से होगा।

बिल से इतर देय पृथक रूप से प्रकट किया जाएगा";

(छ) "ञ" शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"ञक. जहां कंपनी ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से ली गई उधारी को उस विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया है, जिसके लिए वह तुलन-पत्र की तारीख को ली गई थी, कंपनी को वह ब्यौरा प्रकट करना होगा जहां वह उपयोग की गई है";

(ज) शीर्षक ट और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(i) शीर्षक ट और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(ठ) अतिरिक्त विनियामक सूचना

(i) स्थावर संपत्तियों के स्वामित्व विलेखों को कंपनी के नाम पर नहीं रखा गया था

कंपनी सभी स्थावर संपत्तियों (उन संपत्तियों के अलावा जहां कंपनी पट्टेदार है और पट्टा करार पट्टेदार के पक्ष में सम्यक रूप से निष्पादित किए गए हैं) का ब्यौरा प्रदान किया जाएगा जिनके स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम से नहीं हैं निम्नलिखित प्रपत्र में और जहां ऐसी स्थावर संपत्ति संयुक्त रूप से अन्य के साथ धारित है, ब्यौरा कंपनी के शेयर की सीमा तक प्रदान किया जाना अपेक्षित है।

तुलन-पत्र में सुसंगत मद	संपत्ति की मद का विवरण	सकल वाहक मूल्य	स्वामित्व विलेख धारक का नाम	क्या स्वामित्व विलेख धारक एक संवर्धक, निदेशक, अथवा संवर्धक* निदेशक का	जिस तारीख संपत्ति धारित है	कंपनी** के नाम से धारित न होने के कारण

				रिश्तेदार# / अथवा प्रायोजक / निदेशक का कर्मचारी है		
पीपीई - निवेश संपत्ति - बिक्री के लिए धारित गैर-चालू आस्ति - अन्य	भूमि भवन भूमि भवन भूमि भवन	-	-	-	-	**भी निर्दिष्ट करें यदि विवादित हे

#रिश्तेदार का यहां अभिप्रेत जो कंपनी अधिनियम, 2013 में यथा-परिभाषित नातेदार है।

* संप्रवर्तक यहां अभिप्रेत है जो कंपनी अधिनियम, 2013 में यथा-परिभाषित है।

(ii) कंपनी यह प्रकट करेगी कि क्या निवेश संपत्ति का उचित मूल्य (वित्तीय विवरणियों में प्रकटीकरण के प्रयोजनों के लिए यथा-मापित) कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 2 के अधीन यथा-परिभाषित एक रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक द्वारा किए गए मूल्यांकन पर आधारित है।

(iii) क्या जहां कंपनी ने अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (आस्तियों के उपयोग के अधिकार सहित) का पुनर्मूल्यांकन किया है, कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 2 के अधीन यथा-परिभाषित एक रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक द्वारा किए गए मूल्यांकन पर आधारित है, का प्रकटीकरण किया है।

(iv) क्या जहां कंपनी ने अपनी अमूर्त आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया है, वहां कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 की नियम 2 के अधीन यथा-परिभाषित एक रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक द्वारा मूल्यांकन पर आधारित है, का प्रकटीकरण किया है।

IndiaCode

(v) निम्नलिखित प्रकटीकरण वहां किए जाएंगे जहां उधार अथवा उधारों के स्वरूप में अग्रिम सप्रवर्तकों, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पक्षों (कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन यथा-परिभाषित) के लिए स्वीकृत हैं, पृथक रूप से अथवा किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से, जो :

(क) मांग पर प्रतिदेय; अथवा

(ख) किन्हीं शर्तों अथवा प्रतिसंदाय की अवधि को विनिर्दिष्ट किए बिना,

उधार लेने वाले का प्रकार	बकाया उधार के रूप में ऋण अथवा अग्रिम की रकम	कुल उधारियों और अग्रिमों की प्रतिशतता
संप्रवर्तक		
निदेशक		
केएमपी		
संबंधित पक्ष		

(vi) चालू पूंजीगत कार्य

(क) चालू पूंजीगत कार्य के लिए निम्नलिखित अवधि अनुसूची दी जाएगी :

सीडब्ल्यूआईपी अवधि अनुसूची

(रकम रुपये में)

सीडब्ल्यूआईपी	पूर्ण होने के लिए परिकल्पित अधिकतम अवधि	की अवधि के लिए सीजब्ल्यूआईपी में राशि				कुल*
		1 वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष तक	2 से 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक	
चालू परियोजनाएं						
अस्थाई रूप से स्थगित परियोजएं						

*योग का तुलन-पत्र में सीडब्ल्यूआईपी रकम से मिलान किया जाएगा।

(ख) चालू पूंजीगत कार्य के लिए, जिसका पूर्ण होना अतिदेय है अथवा अपनी मूल योजना की तुलना में इसकी लागत अधिक हो गई है, निम्नलिखित **सीडब्ल्यूआईपी पूर्णता अनुसूची** दी जाएगी** :

IndiaCode

(रकम रुपये में)

सीडब्ल्यूआईपी	अवधि में पूर्ण होना			
	1 वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष तक	2 से 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक
परियोजना 1 परियोजना 2"				

** परियोजनाओं का ब्यौरा जहां कार्यकलाप स्थगित कर दिए गए हैं, को पृथक रूप से दिया जाएगा।

(vii) चालू अमूर्त आस्तियां

(क) चालू अमूर्त आस्तियों के लिए, निम्नलिखित अवधि अनुसूची दी जाएगी :

चालू अवधि अनुसूची के अधीन अमूर्त आस्तियां

(रकम रुपये में)

चालू अमूर्त आस्तियां	की अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल*
	1 वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष तक	2 से 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक	
चालू परियोजनाएं अस्थायी रूप से स्थगित परियोजनाएँ					

*योग का तुलन-पत्र में विकास के अधीन अमूर्त आस्तियों की धनराशि से मिलान किया जाएगा।

(ख) चालू पूंजीगत कार्य के लिए, जिसका पूर्ण होना अति देय है अथवा अपनी मूल योजना की तुलना में इसकी लागत अधिक हो गई है, निम्नलिखित **चालू अमूर्त आस्तियों की पूर्णतः अनुसूची** दी जाएगी**:

(रकम रुपये में)

चालू अमूर्त आस्तियों	जिस अवधि में पूर्ण की जाएगी			
	1 वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष तक	2 से 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक
परियोजना 1 परियोजना 2				

** परियोजनाओं का ब्यौरा जहां कार्यकलाप स्थगित कर दिए गए हैं, को पृथक रूप से दिया जाएगा।

(viii) **धारित बेनामी संपत्ति का ब्यौरा**

जहां बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और इसके अंतर्गत बने नियमों के अधीन किसी बेनामी संपत्ति को धारित करने के लिए कंपनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही आरंभ की गई है अथवा लंबित है, कंपनी निम्नलिखित प्रकटीकरण करेगी, अर्थात् :-

IndiaCode

(क) ऐसी संपत्ति का ब्यौरा,

(ख) उसकी धनराशि,

(ग) फायदाप्रदों का ब्यौरा,

(घ) यदि संपत्ति बहियों में है, उस स्थिति में तुलन-पत्र में मद का संदर्भ,

(ङ) यदि संपत्ति बहियों में नहीं है, उस स्थिति में तुलन-पत्र का संदर्भ,

(च) जहां कंपनी के विरुद्ध इस विधि के अंतर्गत संव्यवहार के अवप्रेरक अथवा अंतरणकर्ता के रूप में कार्यवाहियां चल रही हैं, उस स्थिति में ब्यौरा प्रदान किया जाएगा,

(छ) कार्यवाहियों का स्वरूप, उसकी स्थिति और उस पर कंपनी का विचार।

(ix) जहां कंपनी ने चालू आस्तियों की प्रतिभूति के आधार पर बैंकों अथवा वित्तीय संस्थाओं से ऋण लिए हैं, उसे निम्नलिखित प्रकट करना होगा, अर्थात् :-

(क) क्या बैंकों अथवा वित्तीय संस्थाओं के समक्ष कंपनी द्वारा फाइल की गई मौजूदा आस्तियों की तिमाही विवरणियां अथवा विवरण लेखों के अनुरूप हैं;

(ख) यदि नहीं, मिलान का सारांश और महत्वपूर्ण विसंगतियों के कारण, यदि कोई हो, को समुचित रूप से प्रकट किया जाए।

(x) दुराग्राही चूककर्ता*

जहां किसी कंपनी को किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था या अन्य देनदार द्वारा एक दुराग्रही चूककर्ता घोषित कर दी गई है, द्वारा निम्नलिखित ब्यौरा प्रदान किया जाएगा:

(क) दुराग्रही चूककर्ता के रूप में घोषणा की तारीख,

(ख) चूकों का ब्यौरा (चूकों की रकम और स्वरूप)

* "दुराग्रही चूककर्ता" यहां अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति अथवा जारीकर्ता जो अथवा जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दुराग्रही चूककर्ताओं से संबंधित दिशा-निर्देशों के अनुसार, किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था (कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन यथा-परिभाषित) या उसके संघ द्वारा एक दुराग्रही चूककर्ता के रूप में प्रवर्गीकृत किया गया है।

(xi) बंद कंपनियों के साथ नातेदारी

जहां कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अधीन बंद कंपनियों के साथ कोई संव्यवहार किया है, कंपनी निम्नलिखित ब्यौरा प्रकट करेगी, अर्थात् :-

बंद कंपनी का नाम	बंद कंपनी के साथ संव्यवहारों का स्वरूप	शेष बकाया	बंद कंपनी के साथ संबंध, यदि कोई हो, प्रकट करें
	प्रतिभूतियों में विनिधान		
	प्राप्य राशियां		
	देय राशियां		
	बंद कंपनी द्वारा धारित शेयर		
	अन्य बकाया शेष (निर्दिष्ट करें)		

(xii) कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) के समक्ष प्रभारों अथवा ऋणमुक्ति का रजिस्ट्रीकरण

जहां कोई प्रभार अथवा ऋणमुक्ति कानूनी अवधि से आगे आरओसी के समक्ष अभी रजिस्ट्रीकृत की जानी है, उसका ब्यौरा और उसके कारण प्रकट किए जाएंगे।

IndiaCode

(xiii) कंपनियों के स्तरों की संख्या का अनुपालन

जहां कंपनी ने कंपनी (स्तरों की संख्या पर निर्बंधन) नियम, 2017 के साथ पठित इस अधिनियम की धारा 2 के खंड (87) विहित स्तरों की संख्या का अनुपालन नहीं किया है, निर्धारित स्तरों से आगे कंपनियों का नाम और सीआईएन तथा ऐसी अधःप्रवाह कंपनियों के साथ संबंध अथवा धारिता की सीमा प्रकट की जाएगी।

(xiv) निम्नलिखित अनुपात प्रकट किए जाएंगे :-

(क) चालू अनुपात,

(ख) ऋण-साम्या अनुपात,

(ग) ऋण-सेवा कवरेज अनुपात,

(घ) साम्या अनुपात संबंधी रिटर्न,

(ङ) माल सूची व्यापार अनुपात,

(च) व्यापार प्राप्य रकम व्यापार अनुपात,

(छ) व्यापार देय रकम व्यापार अनुपात,

(ज) निवल पूंजी व्यापार अनुपात,

(झ) निवल लाभ अनुपात,

(ञ) नियोजित पूंजी संबंधी रिटर्न,

(ट) विनिधान संबंधी रिटर्न।

IndiaCode

कंपनी उक्त अनुपातों की गणना करने के लिए गणक और भाजक में शामिल मदों को स्पष्ट करेगी। पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में 25% से अधिक अनुपात के परिवर्तन के लिए और आगे स्पष्टीकरण प्रदान किया जाएगा।

(xv) **व्यवस्थाओं की अनुमोदित योजना(ओं) का अनुपालन**

जहां व्यवस्थाओं की स्कीम को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 237 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है, कंपनी यह प्रकट करेगी कि व्यवस्थाओं की ऐसी योजना का आशय 'योजना के अनुसार' और 'लेखांकन मानकों के अनुसार' कंपनी के खातों में दर्ज किया गया है और इस संबंध में किसी अंतर को स्पष्ट किया जाएगा।

(xvi) **उधार ली गई निधियों का उपयोग और निर्गम प्रीमियम :**

(क) जहां कंपनी ने किसी अन्य व्यक्ति(यों), कंपनी(यों), विदेशी कंपनियों ("मध्यस्थों") सहित को इस समझबूझ के साथ (चाहे लिखित में दर्ज अथवा अन्य) कि अग्रिम या ऋण अथवा निवेश की गई निधियां (उधार ली गई निधियां अथवा निर्गम प्रीमियम या किन्हीं अन्य स्रोतों अथवा निधियों के प्रकार से) दी गई हैं कि मध्यस्थ कंपनी

(i) प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी रीति से अन्य व्यक्तियों अथवा चिह्नित कंपनियों को उधार में अथवा निवेश या कंपनी की ओर से ("अंतिम फायदाग्राहियों") या

(ii) कोई गारंटी, प्रतिभूति अथवा इसी प्रकार अंतिम फायदाग्राहियों की ओर प्रदान की गई है, कंपनी निम्नलिखित का प्रकटीकरण करेगी :-

(I) प्रत्येक मध्यस्थ कंपनी के पूर्ण ब्यौरे के साथ मध्यस्थ कंपनियों को अग्रिम अथवा उधार दी गई या निवेश की गई निधियों की तारीख और रकम।

(II) अंतिम लाभार्थियों के पूर्ण ब्यौरे के साथ-साथ अन्य मध्यस्थ कंपनियों अथवा अंतिम लाभार्थियों के लिए ऐसी मध्यस्थ कंपनियों द्वारा आगे अग्रिम अथवा ऋण या निवेश की गई निधि की तारीख और रकम।

(III) अंतिम फायदाग्राहियों को अथवा उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा अथवा ऐसा ही कोई अन्य आधार प्रदान करने की राशि और तारीख।

(IV) यह घोषणा कि विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) और कंपनी अधिनियम के संगत उपाबंधों का ऐसे संव्यवहारों के लिए पालन किया गया है और ये संव्यवहार धनशोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2002 (2003 का 15) का उल्लंघन नहीं करते हैं।

(ख) जहां कंपनी ने किसी अन्य व्यक्ति(यों), कंपनी(यों), विदेशी कंपनियों ("वित्तपोषक पक्ष") सहित से इस समझबूझ के साथ (चाहे लिखित में दर्ज अथवा अन्य) कोई निधि प्राप्त की है कि कंपनी

(i) प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी रीति से अन्य व्यक्तियों अथवा चिह्नित कंपनियों को उधार अथवा में निवेश या वित्तपोषक पक्ष की ओर से ("अंतिम फायदाग्राहियों") या

(ii)कोई गारंटी, प्रतिभूति अथवा इसी प्रकार अंतिम हितधारकों की ओर प्रदान की गई है, कंपनी निम्नलिखित का प्रकटीकरण करेगी :-

(I) प्रत्येक वित्तपोषक पक्ष के पूर्ण ब्यौरे के साथ वित्तपोषक पक्षों को अग्रिम अथवा उधार दी गई या निवेश की गई निधियों की तारीख और रकम।

(II) अंतिम हितधारकों के पूर्ण ब्यौरे के साथ-साथ अन्य मध्यस्थ कंपनियों अथवा अंतिम हितधारकों के लिए ऐसी मध्यस्थ कंपनियों द्वारा आगे अग्रिम अथवा ऋण या निवेश की गई निधि की तारीख और रकम।

(III) अंतिम फायदाग्राहियों को अथवा उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा अथवा ऐसा ही कोई अन्य आधार प्रदान करने की राशि और तारीख।

(IV) यह घोषणा कि विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) और कंपनी अधिनियम के संगत उपाबंध का ऐसे संव्यवहारों के लिए पालन किया गया है और ये संव्यवहार धनशोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2002 (2003 का 15) का उल्लंघन नहीं करते हैं।";

(iii) "लाभ और हानि विवरणी की तैयारी के लिए सामान्य अनुदेश" शीर्षक के अंतर्गत भाग-II में लाभ और हानि का कथन,-

(क) पैरा 3 में, मद (ख) में "और" शब्द को लोप किया जाएगा और मद (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(खक) प्राप्त अनुदान या दान (केवल कंपनियों की धारा 8 के मामले में सुसंगत)";

(ख) पैरा "7. अतिरिक्त सूचना" में, मद (ट) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित मदें अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

"(ठ) अप्रकटीकृत आय

कंपनी लेखा-बहियों में दर्ज नहीं किए गए हैं संव्यवहार का ब्यौरा देगी जो आय कर अधिनियम, 1961 (जैसे कि, अनुसंधान अथवा सर्वेक्षण या आय कर अधिनियम, 1961 के किन्हीं अन्य सुसंगत उपाबंधों) के अंतर्गत कर मूल्यांकनों में उस वर्ष के दौरान अभ्यर्पित अथवा आय के रूप में अप्रकटीकृत रकम बशर्ते कि किसी योजना के

अंतर्गत प्रकटीकरण के संबंध में उन्मुक्ति है और यह भी उल्लेख करेगी कि पूर्व में दर्ज नहीं की गई अलिकित आय और संबंधित आस्तियों को वर्ष के दौरान लेखा-बहियों में समुचित रूप से दर्ज कर लिया गया है।

(ड) कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

जहां कंपनी धारा 135 के अंतर्गत कवर की गई है, द्वारा सीएसआर कार्यकलापों के संबंध में निम्नलिखित प्रकटीकरण किया जाएगा :-

(i) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली अपेक्षित रकम,

(ii) खर्च किए गए व्यय की रकम,

(iii) वर्ष के अंत में कमी,

(iv) पूर्ववर्ती वर्षों की कुल कमी,

(v) कमी के कारण,

(vi) सीएसआर कार्यकलापों का स्वरूप,

(vii) संबंधित पक्ष संव्यवहारों का ब्यौरा अर्थात् सुसंगत लेखांकन मानक के अनुसार सीएसआर व्यय के संबंध में कंपनी द्वारा नियंत्रित न्यास को अंशदान,

(viii) जहां किसी संविदात्मक बाध्यता पूरी करके व्यय किए गए किसी दायित्व के संबंध में कोई उपाबंध किया गया है, उपाबंध में वर्ष के दौरान की गई गतिविधियां पृथक रूप से दर्शायी जाएंगी।

(ढ) क्रिप्टो करेंसी अथवा वर्चुअल करेंसी का ब्यौरा

जहां कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी अथवा वर्चुअल करेंसी में व्यापार अथवा निवेश किया है, निम्नलिखित प्रकटीकरण किया जाएगा :-

(i) क्रिप्टो करेंसी अथवा वर्चुअल करेंसी में शामिल संव्यवहारों पर लाभ अथवा हानि,

(ii) रिपोर्टिंग तारीख को धारित करेंसी की रकम,

(iii) क्रिप्टो करेंसी अथवा वर्चुअल करेंसी में जमाएं अथवा व्यापार अथवा निवेश के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति को अग्रिम धनराशि।"

IndiaCode

(ग) भाग III में,-

(i) भाग-I में- तुलन-पत्र,-

(क) "साम्या में परिवर्तनों का कथन" और इसे संबंधित प्रविष्टियां शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:

"साम्या में परिवर्तनों का विवरण

कंपनी का नाम.....

क. साम्या शेयर पूंजी

(1) चालू प्रतिवेदन अवधि

चालू प्रतिवेदन अवधि के प्रारंभ में शेष	पूर्ववर्ती अवधि की त्रुटियों के कारण साम्या शेयर पूंजी परिवर्तन	चालू प्रतिवेदन अवधि के प्रारंभ में दोहरायी गई शेष राशि	चालू अवधि के दौरान साम्या शेयर पूंजी में परिवर्तन	चालू प्रतिवेदन अवधि के अंत में शेष

(2) पूर्ववर्ती प्रतिवेदन अवधि

पूर्ववर्ती प्रतिवेदन अवधि के प्रारंभ में शेष	पूर्ववर्ती अवधि की त्रुटियों के कारण साम्या शेयर पूंजी परिवर्तन	पूर्ववर्ती प्रतिवेदन अवधि के प्रारंभ में दोहरायी गई शेष राशि	पूर्ववर्ती अवधि के दौरान साम्या शेयर पूंजी में परिवर्तन	पूर्ववर्ती प्रतिवेदन अवधि के अंत में शेष

ख. अन्य साम्या

(1) चालू प्रतिवेदन अवधि

	लंबित आबंटन के लिए शेयर आवेदन धनराशि	**मिश्रित वित्तीय लिखतों का साम्या घटक**	**आरक्षित और अतिरेक**										**शेयर अनुज्ञा पत्र के विरूद्ध प्राप्त धनराशि**	**योग**
			पूंजी आरक्षित	प्रतिभूति प्रीमियम	अन्य आरक्षित (स्वरूप विनिर्दिष्ट करें)	प्रतिधारित आय	अन्य समग्र आय के माध्यम से ऋण लिखत	अन्य समग्र आय के माध्यम से साम्या लिखत	नकदी प्रवाह घेरा का प्रभावी अंश	पुर्नमूल्यांकन अतिरेक	किसी विदेशी प्रचालन की वित्तीय विवरणियों के अनुवाद पर विनिमय अंतर	अन्य समग्र आय की अन्य मदें (स्वरूप विनिर्दिष्ट करें)		

चालू प्रतिवेदन अवधि के प्रारंभ में शेष														
लेखांकन नीति /पूर्ववर्ती अवधि की त्रुटियों में परिवर्तन														
चालू प्रतिवेदन अवधि के प्रारंभ में दोहरायी गई शेष राशि														
चालू वर्ष के लिए कुल समग्र राशि														
लाभांश														
प्रतिधारित आय में अंतरण														
कोई अन्य परिवर्तन (विनिर्दिष्ट किया जाए)														

IndiaCode

चालू प्रतिवेदन अवधि के अंत में शेष														

(2) पूर्ववर्ती प्रतिवेदन अवधि

	लंबित आबंटन के लिए शेयर आवेदन धनराशि	**मिश्रित वित्तीय लिखतों का साम्या घटक**	**आरक्षित और अतिरेक**										**शेयर अनुज्ञा पत्र के विरूद्ध प्राप्त धनराशि**	**योग**
			पूंजी आरक्षित	प्रतिभूति प्रीमियम	अन्य आरक्षित (स्वरूप विनिर्दिष्ट करें)	प्रतिधारित आय	अन्य समग्र आय के माध्यम से ऋण लिखत	अन्य समग्र आय के माध्यम से साम्या लिखत	नकदी प्रवाह घेरा का प्रभावी अंश	पुर्नमूल्यांकन अतिरेक	किसी विदेशी प्रचालन की वित्तीय विवरणियों के अनुवाद पर विनिमय अंतर	अन्य समग्र आय की अन्य मदें (स्वरूप विनिर्दिष्ट करें)		
पूर्ववर्ती प्रतिवेदन अवधि के प्रारंभ में शेष														
लेखांकन नीति /पूर्ववर्ती अवधि की त्रुटियों में परिवर्तन														
पूर्ववर्ती प्रतिवेदन अवधि के प्रारंभ में														

IndiaCode

दोहरायी गई शेष राशि														
पूर्ववर्ती वर्ष के लिए समग्र राशि														
लाभांश														
प्रतिधारित आय में अंतरण														
कोई अन्य परिवर्तन (विनिर्दिष्ट किया जाए)														
पूर्ववर्ती प्रतिवेदन अवधि के अंत में शेष														

IndiaCode

टिप्पण: लाभ अथवा हानि के जरिए उचित मूल्य पर निर्धारित वित्तीय देयताओं के बारे में ऋण संबंधी जोखिम की बाबत परिभाषित लाभ योजनाओं और उचित मूल्य परिवर्तनों के पुन: मापन को संबंधित टिप्पण में प्रासंगिक धन राशि के साथ ऐसी मदों से जुड़े पृथक प्रकटन सहित धारित उपार्जन के एक भाग के रूप में मान्यता दी जाएगी या आरक्षित और अधिशेष के तहत पृथक कॉलम में दर्शाया जाएगा।

(ख) "टिप्पणों" में, "तुलन-पत्र की तैयारी के लिए साधारण अनुदेश" शीर्षक के अंतर्गत,-

(I) "(ग) प्राप्य राशियां" शीर्षक के अंतर्गत, मद (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(iv) व्यापार बकाया प्राप्य राशियां के लिए, निम्नलिखित अवधि अनुसूची दी जाएगी:

व्यापार प्राप्य राशि अवधि अनुसूची

(राशि रुपये में)

विशिष्टियां	भुगतान# की देय तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					
	6 माह से कम	6 माह-1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i)अविवादित व्यापारिक प्राप्य राशियां -सही माना गया						
(ii)अविवादित व्यापारिक प्राप्य राशियां -जिनमें क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।						
(iii)अविवादित व्यापारिक प्राप्य राशियां - क्षीण क्रेडिट हुई						
(iv)विवादित व्यापारिक प्राप्य राशियां - सही माना गया						
(v)विवादित व्यापारिक प्राप्य राशियां - जिनमें क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।						
(vi)विवादित व्यापारिक प्राप्य राशियां – क्षीण क्रेडिट						

IndiaCode

समान सूचना दी जाएगी जहां भुगतान की कोई देय तिथि विनिर्दिष्ट नहीं है, उस मामले में प्रकटीकरण संव्यवहार की तारीख से होगा।

बिल से इतर देय का पृथक रूप से प्रकटीकरण किया जाएगा";

(II) "(ज) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण" शीर्षक के अंतर्गत, मद (iii) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(iii) व्यवसाय संयोजनों के माध्यम से अनुवृद्धि, विक्रय, अधिग्रहण दर्शाते हुए प्रतिवेदन अवधि के प्रारंभ और अंत में आस्तियों के प्रत्येक वर्ग की कुल और निवल धनराशियों का मिलान, पुनर्मूल्यांकन के लिए देय परिवर्तन की धनराशि (यदि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के प्रत्येक वर्ग के निवल मूल्य में 10% या अधिक परिवर्तन है) और अन्य समायोजन तथा संबंधित ह्रास और असमर्थता हानियों अथवा व्युत्क्रमणों का पृथक रूप से प्रकटीकरण किया जाएगा।";

(III) "(ञ) अन्य अमूर्त आस्तियां" शीर्षक के अंतर्गत, मद (ii) के लिए, निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :-

"(ii) व्यवसाय संयोजनों के माध्यम से अनुवृद्धि, विक्रय, अधिग्रहण दर्शाते हुए प्रतिवेदन अवधि के प्रारंभ और अंत में आस्तियों के प्रत्येक वर्ग की कुल और निवल धनराशियों का मिलान, पुनर्मूल्यांकन के लिए देय परिवर्तन की धनराशि (यदि अमूर्त आस्तियों के प्रत्येक वर्ग के निवल मूल्य में 10% या अधिक परिवर्तन है) और अन्य समायोजन तथा संबंधित ऋणमुक्ति और असमर्थता हानियों अथवा व्युत्क्रमणों का पृथक रूप से प्रकटीकरण किया जाएगा।"

(IV) "शीर्षक (ट) और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(टक) भुगतान के लिए देय व्यापार भुगतान योग्य राशियों के लिए, निम्नलिखित अवधि अनुसूची दी जाएगी :

व्यापार भुगतान योग्य अनुसूची

(राशि रुपये में)

विशिष्टियां	भुगतान की देय तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया राशि				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i)एमएसएमई (ii)अन्य (iii)विवादित देय-एमएसएमई (iv) विवादित देय-अन्य					

समान सूचना दी जाएगी जहां भुगतान की कोई देय तिथि विनिर्दिष्ट नहीं है, उस मामले में प्रकटीकरण संव्यवहार की तारीख से होगा।

बिल से इतर देय का पृथक रूप से प्रकटीकरण किया जाएगा";

(V) "(ध) साम्या शेयर पूंजी" शीर्षक के अंतर्गत, मद (ड) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(ढ) कोई कंपनी संप्रवर्तकों* की शेयरधारिता का प्रकटीकरण निम्नानुसार करेगी :

वर्ष के अंत में संप्रवर्तकों द्वारा धारित शेयर				वर्ष*** के दौरान % परिवर्तन
क्र.सं.	संप्रवर्तक का नाम	शेयरों की संख्या**	कुल शेयरों का	

			प्रतिशत**	
कुल				

*संप्रवर्तक से यहां अभिप्रेत कंपनी अधिनियम, 2013 में यथा-परिभाषित प्रायोजक है।

**शेयरों की प्रत्येक श्रेणी के लिए ब्यौरा पृथक रूप से दिया जाएगा।

***प्रतिशत परिवर्तन वर्ष के प्रारंभ में संख्या के संबंध में परिगणित किया जाएगा अथवा यदि पहली बार वर्ष के दौरान जारी किया गया है तो निर्गम की तारीख के संबंध में।"

(VI) शीर्षक "ब" के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(बक) जहां कंपनी ने विशिष्ट प्रयोजन के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से ली गई उधारी का उपयोग नहीं किया है जिसके लिए तुलन-पत्र की तारीख को वह लिया गया था, कंपनी को जहां वे उपयोग किए गए हैं, ब्यौरे का प्रकटीकरण किया जाएगा।;

(बक) अतिरिक्त विनियमन सूचना

(i) कंपनी के नाम से धारित नहीं स्थावर संपत्तियों के स्वामित्व विलेख

कंपनी सभी स्थावर संपत्ति (उन संपत्तियों के अलावा जहां कंपनी पट्टेदार है और पट्टा करार पट्टेदार के पक्ष में सम्यक् रूप से निष्पादित किए गए हैं) का ब्यौरा निम्नलिखित प्ररूप में प्रदान करेगी जिनके स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम में धारित नहीं हैं और जहां ऐसी अचल संपत्ति संयुक्त रूप से अन्य के साथ धारित है, ब्यौरा कंपनी के शेयर की सीमा तक दिया जाना अपेक्षित है।

तुलन-पत्र में संगत पंक्ति मद	संपत्ति की मद का वर्णन	सकल वाहक मूल्य	के नाम से धारित स्वामित्व विलेख	क्या स्वामित्व विलेख धारक संप्रवर्तक, निदेशक अथवा संप्रवर्तक/निदेशक का नातेदार# अथवा संप्रवर्तक निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति किस तारीख से धारित है	कंपनी के नाम से धारित नहीं होने संबंधी कारण**
पीपीई - विनिधान संपत्ति - बिक्री के लिए धारित गैर-चालू आस्ति	भूमि भवन भूमि भवन भूमि	-	-	-	-	**भी विनिर्दिष्ट करें यदि विवादित है

- अन्य भवन						

#नातेदार से यहाँ अभिप्रेत है जो कंपनी अधिनियम, 2013 में यथा-परिभाषित नातेदार है।

*संप्रवर्तक से यहां अभिप्रेत है जो कंपनी अधिनियम, 2013 में यथा-परिभाषित संप्रवर्तक है"।

(ii) कंपनी यह प्रकट करेगी कि क्या विनिधान संपत्ति का उचित मूल्य (वित्तीय विवरणियों में प्रकटीकरण के प्रयोजनों के लिए यथा-मापित है) कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 की नियम 2 के अधीन यथा-परिभाषित एक रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक द्वारा मूल्यांकन पर आधारित है।

(iii) जहां कंपनी ने अपनी **संपत्ति, संयंत्र और उपकरण** (आस्तियों के उपयोग के अधिकार सहित) का पुनर्मूल्यांकन किया है, वहां कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 की नियम 2 के अधीन यथा-परिभाषित एक रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक द्वारा मूल्यांकन पर आधारित है, प्रकट करेगी।

(iv) जहां कंपनी ने अपनी अमूर्त आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया है, वहां कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 की नियम 2 के अधीन यथा-परिभाषित एक रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक द्वारा मूल्यांकन पर आधारित है, प्रकट करेगी।

(v) निम्नलिखित प्रकटीकरण वहां किए जाएंगे जहां ऋणों अथवा ऋणों के स्वरूप में अग्रिम संप्रवर्तकों, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पक्षकारों (कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन यथा-परिभाषित) के लिए स्वीकृत हैं पृथक रूप से अथवा किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से, जो:

(क) मांग पर प्रतिदेय योग्य; अथवा

(ख) किन्हीं शर्तों अथवा प्रतिसंदाय की अवधि को विविनिर्दिष्ट किए बिना

उधार वाले का प्रकार	ऋण की रकम अथवा बकाया ऋण के रूप में अग्रिम	कुल ऋणों और ऋणों के स्वरूप में अग्रिमों का प्रतिशतता
संप्रवर्तक		
निदेशक		
केएमपी		
संबंधित के पक्षकार		

(vi) पूंजी-कार्य प्रगति पर

(क) पूंजी-कार्य प्रगति पर के लिए, निम्नलिखित अवधि अनुसूची दी जाएगी :

सीडब्ल्यूआईपी अवधि अनुसूची

(राशि रुपये में)

सीडब्ल्यूआईपी	की अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल*
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगतिशील परियोजनाएं					

अस्थायी स्थगित परियोजनाएँ					

*योग का तुलन-पत्र में सीडब्ल्यूआईपी धनराशि से मिलान किया जाएगा।

(ख) पूंजी-कार्य प्रगति पर है, के लिए, जिसका पूर्ण होना अति देय है अथवा अपनी मूल योजना की तुलना में इसकी लागत अधिक हो गई है, निम्नलिखित **सीडब्ल्यूआईपी पूर्णता अनुसूची** दी जाएगी** :

(राशि रुपये में)

सीडब्ल्यूआईपी	अवधि में पूर्ण होना			
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
परियोजना 1 परियोजना 2				

** परियोजनाओं का ब्यौरा जहां कार्यकलाप स्थगित कर दिए गए हैं, को पृथक रूप से दिया जाएगा।

(vii) विकास के अधीन अमूर्त आस्तियां:

(क) विकास के अधीन अमूर्त आस्तियों के लिए, निम्नलिखित अवधि अनुसूची दी जाएगी :

विकास अवधि अनुसूची के अधीन अमूर्त आस्तियां

(राशि रुपये में)

विकास के अधीन अमूर्त आस्तियां	पूर्ण होने के लिए परिकल्पित अधिकतम अवधि	की अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल*
		1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगतिशील परियोजनाएं अस्थायी रूप से स्थगित परियोजनाएँ						

*योग का तुलन-पत्र में विकास के अधीन अमूर्त आस्तियों की धनराशि से मिलान किया जाएगा।

(ख) पूंजी-कार्य प्रगति पर है, के लिए, जिसका पूर्ण होना अति देय है अथवा अपनी मूल योजना की तुलना में इसकी लागत अधिक हो गई है, निम्नलिखित **विकास के अधीन अमूर्त आस्तियों की पूर्णता अनुसूची** दी जाएगी**:

IndiaCode

(राशि रुपये में)

विकास के अधीन अमूर्त आस्तियों	अवधि में पूर्ण होना			
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
परियोजना 1 परियोजना 2				

** परियोजनाओं का ब्यौरा जहां कार्यकलाप स्थगित कर दिए गए हैं, को पृथक रूप से दिया जाएगा।

(viii) **धारित बेनामी संपत्ति का ब्यौरा**

जहां बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और इसके अंतर्गत बने नियमों के अधीन किसी बेनामी संपत्ति को धारित करने के लिए कंपनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही आरंभ की गई है अथवा लंबित है, कंपनी निम्नलिखित प्रकटीकरण करेगी:-

(क) ऐसी संपत्ति का ब्यौरा,

(ख) उसकी राशि,

(ग) हिताधिकारी का ब्यौरा,

(घ) यदि संपत्ति बहियों में है, उस स्थिति में तुलन-पत्र में मद का संदर्भ,

(ङ) यदि संपत्ति बहियों में नहीं है, उस स्थिति में तुलन-पत्र का संदर्भ,

(च) जहां कंपनी के विरुद्ध इस विधि के अंतर्गत संव्यवहार के अवप्रेरक अथवा अंतरणकर्ता के रूप में कार्यवाहियां चल रही हैं, उस स्थिति में ब्यौरा प्रदान किया जाएगा,

(छ) कार्यवाहियों का स्वरूप, उसकी स्थिति और उस पर कंपनी का विचार।

(ix) जहां कंपनी ने चालू आस्तियों की प्रतिभूति के आधार पर बैंकों अथवा वित्तीय संस्थाओं से ऋण लिए हैं, उसे निम्नलिखित प्रकट करेगा:-

(क) क्या बैंकों अथवा वित्तीय संस्थाओं ने कंपनी द्वारा फाइल की गई मौजूदा आस्तियों की तिमाही विवरणियां अथवा विवरण लेखों के अनुरूप हैं,

(ख) यदि नहीं, मिलान का सारांश और महत्वपूर्ण विसंगतियों के कारण, यदि कोई हो, को पर्याप्त रूप से प्रकट किया जाए।

(x) दुराग्रही चूककर्ता*

जहां कोई कंपनी किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था या अन्य देनदार द्वारा एक दुराग्रही चूककर्ता घोषित कर दी गई है, निम्नलिखित ब्यौरा प्रदान किया जाएगा, अर्थात्:-

(क) दुराग्रही चूककर्ता के रूप में घोषणा की तारीख,

(ख) चूकों का ब्यौरा (चूकों की धनराशि और स्वरूप)।

* "दुराग्रही चूककर्ता" का यहां अभिप्रेत ऐसा व्यक्ति अथवा जारीकर्ता है जो अथवा जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दुराग्रही चूककर्ताओं पर दिशा-निर्देशों के अनुसार, किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था (कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन यथा-परिभाषित) या उसके संघ द्वारा एक दुराग्रही चूककर्ता के रूप में प्रवर्गीकृत किया गया है।

IndiaCode

(xi) बंद कंपनियों के साथ संबंध

जहां कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अधीन बंद कंपनियों के साथ कोई संव्यवहार किया है, कंपनी निम्नलिखित ब्यौरा प्रकट करेगी, अर्थात् :-

बंद कंपनी का नाम	बंद कंपनी के साथ संव्यवहारों का स्वरूप	शेष बकाया	बंद कंपनी के साथ संबंध, यदि कोई हो, प्रकट करें
	प्रतिभूतियों में विनिधान		
	प्राप्य राशियां		
	देय राशियां		
	बंद कंपनी द्वारा धारित शेयर		
	अन्य बकाया शेष (विनिर्दिष्ट करें)		

(xii) कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) के समक्ष प्रभारों अथवा ऋणमुक्ति का रजिस्ट्रीकरण

जहां कोई प्रभार अथवा ऋणमुक्ति कानूनी अवधि से आगे आरओसी के समक्ष अभी रजिस्ट्रीकृत की जानी है, उसका ब्यौरा और उसके कारण प्रकट किए जाएंगे।

(xiii) कंपनियों के स्तरों की संख्या पर निर्बंधन का अनुपालन

जहां कंपनी ने कंपनी (स्तरों की संख्या पर निर्बंधन) नियम, 2017 के साथ पठित इस अधिनियम की धारा 2 के खंड (87) निर्धारित स्तरों की संख्या का अनुपालन नहीं किया है, निर्धारित स्तरों से आगे कंपनियों का नाम और सीआईएन तथा ऐसी अधःप्रवाह कंपनियों के साथ संबंध अथवा धारिता की सीमा प्रकट की जाएगी।

(xiv) निम्नलिखित अनुपात प्रकट किए जाएंगे।

(क) जोखिम भारित आस्ति अनुपात के लिए पूंजी (सीआरएआर)

(ख) टायर I सीआरएआर

(ग) टायर II सीआरएआर

(घ) तरलता कवरेज अनुपात

(xv) **व्यवस्थाओं की अनुमोदित योजना(ओं) का अनुपालन**

जहां व्यवस्थाओं की योजना को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 237 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है, कंपनी यह प्रकट करेगी कि व्यवस्थाओं की ऐसी योजना का आशय 'योजना के अनुसार' और 'लेखांकन मानकों के अनुसार' कंपनी के खातों में लिखा गया है। इस संबंध में किसी अंतर को स्पष्ट किया जाएगा।

(xvi) **उधार ली गई निधियों का उपयोग और निर्गम प्रीमियम :**

(क) जहां कंपनी ने किसी अन्य व्यक्ति(यों), कंपनी(यों), विदेशी कंपनियों ("मध्यस्थों") सहित को इस समझबूझ के साथ (चाहे लिखित में दर्ज अथवा अन्य) कि अग्रिम या ऋण अथवा निवेश की गई निधियां (उधार ली गई निधियां अथवा निर्गम प्रीमियम या किन्हीं अन्य स्रोतों अथवा निधियों के प्रकार से) दी हैं कि

(i) मध्यस्थ कंपनी प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी रीति से अन्य व्यक्तियों अथवा चिह्नित कंपनियों को उधार अथवा में निवेश या कंपनी की ओर से ("अंतिम लाभार्थियों") या

(ii) कोई गारंटी, प्रतिभूति प्रदान करना अथवा इसी प्रकार अंतिम लाभार्थियों की ओर से, कंपनी निम्नलिखित का प्रकटीकरण करेगी:-

(I) प्रत्येक मध्यस्थ कंपनी के पूर्ण ब्यौरे के साथ मध्यस्थ कंपनियों को अग्रिम अथवा उधार दी गई या निवेश की गई निधियों की तारीख और धनराशि।

(II) अंतिम लाभार्थियों के पूर्ण ब्यौरे के साथ-साथ अन्य मध्यस्थ कंपनियों अथवा अंतिम हितधारकों के लिए ऐसी मध्यस्थ कंपनियों द्वारा आगे अग्रिम अथवा ऋण या निवेश की गई निधि की तारीख और धनराशि।

(III) अंतिम फायदाग्राहियों को अथवा उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा अथवा ऐसा ही कोई अन्य आधार प्रदान करने की राशि और तारीख।

(IV) यह घोषणा कि विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) (यदि लागू हो) और कंपनी अधिनियम के संगत उपाबंधों का ऐसे संव्यवहारों के लिए पालन किया गया है और ये संव्यवहार धनशोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2002 (2003 का 15) का उल्लंघन नहीं करते हैं।

(ख) जहां कंपनी ने किसी अन्य व्यक्ति (यों), कंपनी (यों), विदेशी कंपनियों ("वित्तपोषक पक्ष") सहित को इस समझबूझ के साथ (चाहे लिखित में दर्ज अथवा अन्य) कि अग्रिम या ऋण अथवा निवेश की गई निधियां (उधार ली गई निधियां अथवा निर्गम प्रीमियम या किन्हीं अन्य स्रोतों अथवा निधियों के प्रकार से) ली है कि

(i) मध्यस्थ कंपनी प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी रीति से अन्य व्यक्तियों अथवा चिह्नित कंपनियों को उधार अथवा में निवेश या वित्तपोषक पक्ष की ओर से ("अंतिम हितधारकों") या

(ii) कोई गारंटी, प्रतिभूति प्रदान करना अथवा इसी प्रकार अंतिम हितधारकों की ओर से, कंपनी निम्नलिखित का प्रकटीकरण करेगी:-

(I) प्रत्येक वित्तपोषक पक्ष के पूर्ण ब्यौरे के साथ वित्तपोषक पक्षों से अग्रिम अथवा उधार ली गई या निवेश की गई निधियों की तारीख और धनराशि।

(II) अंतिम हितधारकों के पूर्ण ब्यौरे के साथ-साथ अन्य मध्यस्थ कंपनियों अथवा अंतिम हितधारकों के लिए ऐसी मध्यस्थ कंपनियों द्वारा आगे अग्रिम अथवा ऋण या विनिधान की गई निधि की तारीख और धनराशि।

(III) अंतिम फायदाग्राहियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा अथवा ऐसा ही कोई अन्य आधार प्रदान करने की राशि और तारीख।

(IV) यह घोषणा कि विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) और कंपनी अधिनियम के सुसंगत उपाबंधों (यदि लागू हो) का ऐसे संव्यवहारों के लिए पालन किया गया है और ये संव्यवहार धनशोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2002 (2003 का 15) का उल्लंघन नहीं करते हैं।";

(ii) "लाभ और हानि विवरणी की तैयारी के लिए साधारण अनुदेश" शीर्षक के अंतर्गत भाग-II-लाभ और हानि कथन में, "पैरा 11. अतिरिक्त सूचना", में मद "iv.", और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित मदें अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

"v. अप्रकटीकृत आय

कंपनी, लेखा-बहियों में दर्ज नहीं किए गए संव्यवहार का ब्यौरा देगी जो आय कर अधिनियम, 1961 (जैसे कि, अनुसंधान अथवा सर्वेक्षण या आय कर अधिनियम, 1961 के किन्हीं अन्य सुसंगत उपाबंध) के अंतर्गत कर

मूल्यांकनों में उस वर्ष के दौरान अभ्यर्पित अथवा आय के रूप में अप्रकटीकृत धनराशि बशर्ते कि किसी स्कीम के अंतर्गत प्रकटीकरण के संबंध में उन्मुक्ति है और यह भी उल्लेख करेगी कि पूर्व में दर्ज नहीं की गई अलिकित आय और संबंधित आस्तियों को वर्ष के दौरान लेखा-बहियों में समुचित रूप से दर्ज कर लिया गया है।

vi कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

जहां कंपनी, कंपनी की धारा 135 के अंतर्गत शामिल की गई है, सीएसआर कार्यकलापों के संबंध में निम्नलिखित प्रकटीकरण किया जाएगा :-

(क) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली अपेक्षित धनराशि,

(ख) खर्च किए गए व्यय की धनराशि,

(ग) वर्ष के अंत में कमी,

(घ) पूर्ववर्ती वर्षों की कुल कमी,

(ङ) कमी संबंधी कारण,

(च) सीएसआर कार्यकलापों का स्वरूप,

(छ) संबंधित पक्ष संव्यवहारों का ब्यौरा अर्थात् संगत लेखांकन मानक के अनुसार सीएसआर व्यय के संबंध में कंपनी द्वारा नियंत्रित किसी न्यास को अंशदान,

(ज) जहां किसी संविदात्मक दायित्व संपन्न करने के द्वारा व्यय किए गए किसी दायित्व के संबंध में कोई उपाबंध किया गया है, वर्ष के दौरान प्रावधान में गतिविधियां पृथक रूप से दर्शायी जाएंगी।

vii. क्रिप्टो करेंसी अथवा वर्चुअल करेंसी का ब्यौरा

जहां कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी अथवा वर्चुअल करेंसी में व्यापार अथवा निवेश किया है, निम्नलिखित प्रकटीकरण किया जाएंगे :-

(क) क्रिप्टो करेंसी अथवा वर्चुअल करेंसी में शामिल संव्यवहारों पर लाभ अथवा हानि,

(ख) रिपोर्टिंग तारीख को धारित करेंसी की धनराशि,

(ग) क्रिप्टो करेंसी अथवा वर्चुअल करेंसी में व्यापार अथवा निवेश के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति से जमा या अग्रिम।"

[फा.सं. 17/62/2015-सीएल-V खंड-I]

के.वी.आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पण : अधिसूचना संख्या का.आ. 902(अ) तारीख 26 मार्च, 2014 द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III 01 अप्रैल, 2014 से प्रवृत हुई और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. संख्या 679(अ) तारीख 04 सितंबर, 2015, अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 404(अ) तारीख 06 अप्रैल, 2016 और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1022(अ) तारीख 11 अक्तूबर, 2018 द्वारा इसमें पश्चातवर्ती संशोधन किए गए।

IndiaCode

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 2021

G.S.R. 207(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 467 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following further amendments in Schedule III to the said Act with effect from 1st day of April, 2021, namely:-

In the said Schedule,-

(a) in Division I,-

(i) under the heading "General instructions for preparation of Balance Sheet and statement of Profit and Loss of a company", under sub-heading "General instructions", in paragraph 4, in clause (i), for the word "may" the word "shall" and for the word "Turnover", at both the places where it occurs, the words "Total Income" shall be substituted;

(ii) in Part I- Balance Sheet,-

(A) under the heading "II Assets", under sub-heading "Non-current assets", after the words "Property, Plant and Equipment", the words "and Intangible assets" shall be inserted and for the words "Tangible Assets", the words "Property, Plant and Equipment" shall be substituted;

(B) in the "Notes", under the heading "General Instructions for Preparation of Balance Sheet", in paragraph 6,-

(I) under the heading "A. Share Capital", after item (l) and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:

"(m) A company shall disclose Shareholding of Promoters* as below:

IndiaCode

Shares held by promoters at the end of the year				% Change during the year***
S. No	Promoter name	No. of Shares**	%of total shares**	
Total				

*Promoter here means promoter as defined in the Companies Act, 2013.

** Details shall be given separately for each class of shares

*** percentage change shall be computed with respect to the number at the beginning of the year or if issued during the year for the first time then with respect to the date of issue. "

(II) under the heading "F. Short-term borrowings", after item (iv) and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:

"(v) current maturities of Long term borrowings shall be disclosed separately." ;

(III) after the heading "FA. Trade Payables" and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:

"**FB. Trade payables due for payment**

The following ageing schedule shall be given for Trade payables due for payment:-

Trade Payables ageing schedule

(Amount in Rs.)

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment#				
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	Total
(i)MSME (ii)Others (iii) Disputed dues –					

MSME (iv) Disputed dues - Others					

similar information shall be given where no due date of payment is specified in that case disclosure shall be from the date of the transaction.

Unbilled dues shall be disclosed separately;

(IV) under the heading "G. Other current liabilities", item (a) shall be omitted;

(V) Under the heading "I. Tangible Assets",-

(a) for the words "Tangible Assets", the words "Property, Plant and Equipment" shall be substituted;

(b) for item (iii), the following shall be substituted, namely:-

"(iii) A reconciliation of the gross and net carrying amounts of each class of assets at the beginning and end of the reporting period showing additions, disposals, acquisitions through business combinations, amount of change due to revaluation (if change is 10% or more in the aggregate of the net carrying value of each class of Property, Plant and Equipment) and other adjustments and the related depreciation and impairment losses/reversals shall be disclosed separately.";

(VI) Under the heading "J. Intangible assets", for item (ii), the following shall be substituted, namely:-

"(ii) A reconciliation of the gross and net carrying amounts of each class of assets at the beginning and end of the reporting period showing additions, disposals, acquisitions through business combinations, amount of change due to revaluation (if change is 10% or more in the aggregate of the net carrying value of each class of intangible assets) and other adjustments and the related depreciation and impairment losses or reversals shall be disclosed separately.";

(VII) Under the heading "L. Long-term loans and advances", in item (i), sub-item (b) shall be omitted;

(VIII) Under the heading "M. Other non-current assets",-

(a) after item (i), the following shall be inserted, namely:

"(ia) Security Deposits"

(b) after item (iii), the following shall be inserted, namely:

"(iv) For trade receivables outstanding, following ageing schedule shall be given:

Trade Receivables ageing schedule

(Amount in Rs.)

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment#					
	Less than 6 months	6 months -1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	Total
(i) Undisputed Trade receivables – considered good (ii) Undisputed Trade Receivables – considered doubtful (iii) Disputed Trade Receivables considered good (iv) Disputed Trade Receivables considered doubtful						

similar information shall be given where no due date of payment is specified, in that case disclosure shall be from the date of the transaction.

Unbilled dues shall be disclosed separately.";

(IX) Under the heading "P. Trade Receivables", for item (i), the following item shall be substituted, namely:-

" (i) For trade receivables outstanding, the following ageing schedules shall be given:

Trade Receivables ageing schedule

(Amount in Rs.)

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment#					
	Less than 6 months	6 months - 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	Total
(i) Undisputed Trade receivables – considered good						
(ii) Undisputed Trade Receivables – considered doubtful						
(iii) Disputed Trade Receivables considered good						
(iv) Disputed Trade Receivables considered doubtful						

IndiaCode

similar information shall be given where no due date of payment is specified in that case disclosure shall be from the date of the transaction.

Unbilled dues shall be disclosed separately.";

(X) After heading "V.", following shall be inserted, namely:-

"VA. Where the company has not used the borrowings from banks and financial institutions for the specific purpose for which it was taken at the balance sheet date, the company shall disclose the details of where they have been used.";

(XI) in heading "W.", after the words "Property, Plant and Equipment", the words ",Intangible assets" shall be inserted;

(XII) heading "X." shall be omitted;

(XIII) after heading "X.", the following shall be inserted, namely:

"Y. Additional Regulatory Information

(i) **Title deeds of Immovable Property not held in name of the Company**

The company shall provide the details of all the immovable property (other than properties where the Company is the lessee and the lease agreements are duly executed in favour of the lessee) whose title deeds are not held in the name of the company in format given below and where such immovable property is jointly held with others, details are required to be given to the extent of the company's share.

Relevant line item in the Balance sheet	Description of item of property	Gross carrying value	Title deeds held in the name of	Whether title deed holder is a promoter, director or relative# of promoter*/director or employee of promoter/director	Property held since which date	Reason for not being held in the name of the company**
PPE -	Land Building	-	-	-	-	**also indicate if in dispute

Investment property - PPE retired from active use and held for disposal - others	Land Building Land Building					

#Relative here means relative as defined in the Companies Act, 2013.

*Promoter here means promoter as defined in the Companies Act, 2013.

(ii) Where the Company has revalued its Property, Plant and Equipment, the company shall disclose as to whether the revaluation is based on the valuation by a registered valuer as defined under rule 2 of the Companies (Registered Valuers and Valuation) Rules, 2017.

(iii) Following disclosures shall be made where Loans or Advances in the nature of loans are granted to promoters, directors, KMPs and the related parties (as defined under Companies Act, 2013,) either severally or jointly with any other person, that are:

(a) repayable on demand or

(b) without specifying any terms or period of repayment

Type of Borrower	Amount of loan or advance in the nature of loan outstanding	Percentage to the total Loans and Advances in the nature of loans
Promoters		
Directors		
KMPs		
Related Parties		

";

(iv) **Capital-Work-in Progress (CWIP)**

(a) For Capital-work-in progress, following ageing schedule shall be given:

CWIP aging schedule

(Amount in Rs.)

CWIP	Amount in CWIP for a period of				Total*
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
Projects in progress Projects temporarily suspended					

*Total shall tally with CWIP amount in the balance sheet.

(b) For capital-work-in progress, whose completion is overdue or has exceeded its cost compared to its original plan, following **CWIP completion schedule** shall be given**:

(Amount in Rs.)

CWIP	To be completed in			
	Less than1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years
Project 1 Project 2"				

**Details of projects where activity has been suspended shall be given separately.

(v) Intangible assets under development:

(a) For Intangible assets under development, following ageing schedule shall be given:

Intangible assets under development aging schedule

(Amount in Rs.)

Intangible assets under development	Amount in CWIP for a period of				Total*
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
Projects in progress Projects temporarily suspended					

IndiaCode

* Total shall tally with the amount of Intangible assets under development in the balance sheet.

(b) For Intangible assets under development, whose completion is overdue or has exceeded its cost compared to its original plan, following **Intangible assets under development completion schedule** shall be given**:

(Amount in Rs.)

Intangible assets under development	To be completed in			
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years
Project 1 Project 2				

**Details of projects where activity has been suspended shall be given separately.

(vi) Details of Benami Property held

Where any proceedings have been initiated or pending against the company for holding any benami property under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (45 of 1988) and the rules made thereunder, the company shall disclose the following:-

(a) Details of such property, including year of acquisition,

(b) Amount thereof,

(c) Details of Beneficiaries,

(d) If property is in the books, then reference to the item in the Balance Sheet,

(e) If property is not in the books, then the fact shall be stated with reasons,

(f) Where there are proceedings against the company under this law as an abetter of the transaction or as the transferor then the details shall be provided,

(g) Nature of proceedings, status of same and company's view on same.

(vii) Where the Company has borrowings from banks or financial institutions on the basis of security of current assets, it shall disclose the following:-

(a) whether quarterly returns or statements of current assets filed by the Company with banks or financial institutions are in agreement with the books of accounts.

(b) if not, summary of reconciliation and reasons of material discrepancies, if any to be adequately disclosed.

(viii) **Wilful Defaulter***

Where a company is a declared wilful defaulter by any bank or financial Institution or other lender, following details shall be given:

(a) Date of declaration as wilful defaulter,

(b) Details of defaults (amount and nature of defaults),

* "wilful defaulter" here means a person or an issuer who or which is categorized as a wilful defaulter by any bank or financial institution (as defined under the Act) or consortium thereof, in accordance with the guidelines on wilful defaulters issued by the Reserve Bank of India.

(ix) **Relationship with Struck off Companies**

Where the company has any transactions with companies struck off under section 248 of the Companies Act, 2013 or section 560 of Companies Act, 1956, the Company shall disclose the following details:-

Name of struck off Company	Nature of transactions with struck-off Company	Balance outstanding	Relationship with the Struck off company, if any, to be disclosed
	Investments in securities		
	Receivables		
	Payables		
	Shares held by stuck off company		
	Other outstanding balances (to be specified)		

(x) Registration of charges or satisfaction with Registrar of Companies

Where any charges or satisfaction yet to be registered with Registrar of Companies beyond the statutory period, details and reasons thereof shall be disclosed.

(xi) **Compliance with number of layers of companies**

Where the company has not complied with the number of layers prescribed under clause (87) of section 2 of the Act read with Companies (Restriction on number of Layers) Rules, 2017, the name and CIN of the companies beyond the specified layers and the relationship/extent of holding of the company in such downstream companies shall be disclosed.

(xii) **Following Ratios to be disclosed:-**

(a) Current Ratio,

(b) Debt-Equity Ratio,

(c) Debt Service Coverage Ratio,

(d) Return on Equity Ratio,

(e) Inventory turnover ratio,

IndiaCode

(f) Trade Receivables turnover ratio,

(g) Trade payables turnover ratio,

(h) Net capital turnover ratio,

(i) Net profit ratio,

(j) Return on Capital employed,

(k) Return on investment.

The company shall explain the items included in numerator and denominator for computing the above ratios. Further explanation shall be provided for any change in the ratio by more than 25% as compared to the preceding year.

(xiii) **Compliance with approved Scheme(s) of Arrangements**

Where any Scheme of Arrangements has been approved by the Competent Authority in terms of sections 230 to 237 of the Companies Act, 2013, the Company shall disclose that the effect of such Scheme of Arrangements have been accounted for in the books of account of the Company 'in accordance with the Scheme' and 'in accordance with accounting standards' and deviation in this regard shall be explained.

(xiv) Utilisation of Borrowed funds and share premium:

(A) Where company has advanced or loaned or invested funds (either borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) to any other person(s) or entity(ies), including foreign entities (Intermediaries) with the understanding (whether recorded in writing or otherwise) that the Intermediary shall

(i) directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the company (Ultimate Beneficiaries) or

(ii) provide any guarantee, security or the like to or on behalf of the Ultimate Beneficiaries;

the company shall disclose the following:-

(I) date and amount of fund advanced or loaned or invested in Intermediaries with complete details of each Intermediary.

(II) date and amount of fund further advanced or loaned or invested by such Intermediaries to other intermediaries or Ultimate Beneficiaries alongwith complete details of the ultimate beneficiaries.

(III) date and amount of guarantee, security or the like provided to or on behalf of the Ultimate Beneficiaries

(IV) declaration that relevant provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) and Companies Act has been complied with for such transactions and the transactions are not violative of the Prevention of Money-Laundering act, 2002 (15 of 2003).;

(B) Where a company has received any fund from any person(s) or entity(ies), including foreign entities (Funding Party) with the understanding (whether recorded in writing or otherwise) that the company shall

(i) directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party (Ultimate Beneficiaries) or

(ii) provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries, the company shall disclose the following:-

(I) date and amount of fund received from Funding parties with complete details of each Funding party.

(II) date and amount of fund further advanced or loaned or invested other intermediaries or Ultimate Beneficiaries alongwith complete details of the other intermediaries' or ultimate beneficiaries.

(III) date and amount of guarantee, security or the like provided to or on behalf of the Ultimate Beneficiaries

(IV) declaration that relevant provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) and Companies Act has been complied with for such transactions and the transactions are not violative of the Prevention of Money-Laundering act, 2002 (15 of 2003).;

(iii) in Part II- Statement of Profit and Loss,-

(A) under the heading "III. Total Revenue (I +II)", for the word "Revenue", the word "Income" shall be substituted;

IndiaCode

(B) under the heading "General Instructions for Preparation of Statement of Profit and Loss",-

(I) in paragraph 2, in item (A), after sub-item (b), the following shall be inserted, namely:-

"(ba) Grants or donations received (relevant in case of section 8 companies only)";

(II) in paragraph "5. Additional information", after item (viii) and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

"(ix) Undisclosed income

The Company shall give details of any transaction not recorded in the books of accounts that has been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961 (such as, search or survey or any other relevant provisions of the Income Tax Act, 1961), unless there is immunity for disclosure under any scheme and also shall state whether the previously unrecorded income and related assets have been properly recorded in the books of account during the year.;

(x) Corporate Social Responsibility (CSR)

Where the company covered under section 135 of the companies act, the following shall be disclosed with regard to CSR activities:-

(a) amount required to be spent by the company during the year,

(b) amount of expenditure incurred,

(c) shortfall at the end of the year,

(d) total of previous years shortfall,

(e) reason for shortfall,

(f) nature of CSR activities,

(g) details of related party transactions, e.g., contribution to a trust controlled by the company in relation to CSR expenditure as per relevant Accounting Standard,

(h) where a provision is made with respect to a liability incurred by entering into a contractual obligation, the movements in the provision during the year should be shown separately.

(xi) Details of Crypto Currency or Virtual Currency

Where the Company has traded or invested in Crypto currency or Virtual Currency during the financial year, the following shall be disclosed:-

(a) profit or loss on transactions involving Crypto currency or Virtual Currency

(b) amount of currency held as at the reporting date,

(c) deposits or advances from any person for the purpose of trading or investing in Crypto Currency/ virtual currency.";

(b) in Division II,

(i) under the heading "General instructions for preparation of Financial Statements of a company required to comply with Ind AS", in paragraph 5, for the word "Turnover", at both the places where it occurs, the words "Total Income" shall be substituted;

(ii) in Part I- Balance Sheet,-

(A) under the heading "Equity and Liabilities", in sub-heading "Liabilities",-

(I) in item "(1) Non-current liabilities", in sub-item "(a) Financial Liabilities", after (i), the following shall be inserted, namely:-

"(ia) Lease liabilities"

(II) in item "(2) Current Liabilities", in sub-item "(a) Financial Liabilities", after (i), the following shall be inserted, namely:-

"(ia) Lease liabilities"

IndiaCode

(B) for the heading "Statement of Changes in Equity" and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:

"STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY

Name of the Company.....

A. Equity Share Capital

(1) Current reporting period

Balance at the beginning of the current reporting period	Changes in Equity Share Capital due to prior period errors	Restated balance at the beginning of the current reporting period	Changes in equity share capital during the current year	Balance at the end of the current reporting period

(2) Previous reporting period

Balance at the beginning of the previous reporting period	Changes in Equity Share Capital due to prior period errors	Restated balance at the beginning of the previous reporting period	Changes in equity share capital during the previous year	Balance at the end of the previous reporting period

B. Other Equity

(1) Current reporting period

	Share application money pending allotment	**Equity component of compound financial instruments**	**Reserves and Surplus**										**Money received against share warrants**	**Total**
			Capital Reserve	Securities Premium	Other Reserves (specify nature)	Retained Earnings	Debt instruments through Other Comprehensive Income	Equity Instruments through Other Comprehensive Income	Effective portion of Cash Flow Hedges	Revaluation Surplus	Exchange differences on translating the financial statements of a foreign operation	Other items of Other Comprehensive Income (specify nature)		
Balance at the beginning of the current reporting period														
Changes in accounting policy or prior period errors														

IndiaCode

Restated balance at the beginning of the current reporting period														
Total Comprehensive Income for the current year														
Dividends														
Transfer to retained earnings														
Any other change (to be specified)														
Balance at the end of the current reporting period														

IndiaCode

(2) Previous reporting period

	Share application money pending allotment	**Equity component of compound financial instruments**	**Reserves and Surplus**										**Money received against share warrants**	**Total**
			Capital Reserve	Securities Premium	Other Reserves (specify nature)	Retained Earnings	Debt instruments through Other Comprehensive Income	Equity Instruments through Other Comprehensive Income	Effective portion of Cash Flow Hedges	Revaluation Surplus	Exchange differences on translating the financial statements of a foreign operation	Other items of Other Comprehensive Income (specify nature)		
Balance at the														

beginning of the previous reporting period														
Changes in accounting policy/prior period errors														
Restated balance at the beginning of the previous reporting period														
Total Comprehensive Income for the previous year														
Dividends														
Transfer to retained earnings														
Any other change (to be specified)														
Balance at the end of the previous reporting period														

IndiaCode

Note: Remeasurment of defined benefit plans and fair value changes relating to own credit risk of financial liabilities designated at fair value through profit or loss shall be recognised as a part of retained earnings with separate disclosure of such items alongwith the relevant amounts in the Notes or shall be shown as a separate column under Reserves and Surplus ”

(C) in the "Notes", under the heading "General Instructions For Preparation of Balance Sheet",-

(I) In paragraph 6,-

(a) under the heading "A. Non-Current Assets",-

(i) under the sub-heading "I. Property, Plant and Equipment", for item (iii), the following item shall be substituted, namely:-

"(iii) A reconciliation of the gross and net carrying amounts of each class of assets at the beginning and end of the reporting period showing additions, disposals, acquisitions through business combinations, amount of change due to revaluation (if change is 10% or more in the aggregate of the net carrying value of each class of Property, Plant and Equipment) and other adjustments and the related depreciation and impairment losses or reversals shall be disclosed separately.";

(ii) under the sub-heading "IV. Other Intangible assets", for item (ii), the following item shall be substituted, namely:-

"(ii) A reconciliation of the gross and net carrying amounts of each class of assets at the beginning and end of the reporting period showing additions, disposals, acquisitions through business combinations, amount of change due to revaluation (if change is 10% or more in the aggregate of the net carrying value of each class of intangible assets) and other adjustments and the related amortization and impairment losses or reversals shall be disclosed separately. "

(iii) under the sub-heading "VII. Trade Receivables", after item (iii), the following item shall be inserted, namely:-

"(iv) For trade receivables outstanding, following ageing schedule shall be given:

Trade Receivables ageing schedule

(Amount in Rs.)

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment#					
	Less than 6 months	6 months -1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	Total
(i) Undisputed Trade receivables – considered good						
(ii) Undisputed Trade Receivables – which have significant increase in credit risk						
(iii) Undisputed Trade Receivables – credit impaired						
(iv) Disputed Trade Receivables–considered good						
(v) Disputed Trade Receivables – which have significant increase in credit risk						
(vi) Disputed Trade Receivables – credit impaired						

similar information shall be given where no due date of payment is specified in that case disclosure shall be from the date of the transaction.

Unbilled dues shall be disclosed separately";

IndiaCode

(iv) Under the sub- heading "VIII. Loans", in sub item (i), sub-item (a) shall be omitted;

(v) For sub-heading "IX" and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

"IX. Other financial assets

(i) Security Deposits

(ii) Bank deposits with more than 12 months maturity

(iii) others(to be specified)" ;

(b) under the heading "B. Current Assets",-

(i) in the sub-heading "III. Trade Receivables", after item (iii) and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

" (iv) For trade receivables outstanding, following ageing schedule shall be given:

Trade Receivables ageing schedule

(Amount in Rs.)

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment#					
	Less than 6 months	6 months -1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	Total
(i) Undisputed Trade receivables – considered good						
(ii) Undisputed Trade Receivables – which have significant increase in credit risk						
(iii) Undisputed Trade Receivables – credit impaired						
(iv) Disputed Trade Receivables–considered good						
(v) Disputed Trade Receivables – which have significant increase in credit risk						
(vi) Disputed Trade Receivables – credit impaired						

IndiaCode

similar information shall be given where no due date of payment is specified in that case disclosure shall be from the date of the transaction.

Unbilled dues shall be disclosed separately";

(ii) under the sub-heading "V. Loans", in item (i), sub-item (a) shall be omitted;

(iii) after the sub-heading "V. Loans" and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

"VA. Other Financial Assets: This is an all-inclusive heading, which incorporates financial assets that do not fit into any other financial asset categories, such as, Security Deposits."

(c) under the heading "D. Equity", in sub-heading "I. Equity Share Capital", after item (l), the following item shall be inserted, namely:-

"(m) A company shall disclose Shareholding of Promoters* as under:

Shares held by promoters at the end of the year				% Change during the year***
S. No	Promoter name	No. of Shares**	%of total shares	
Total				

*Promoter here means promoter as defined in the Companies Act, 2013.

** Details shall be given separately for each class of shares

*** percentage change shall be computed with respect to the number at the beginning of the year or if issued during the year for the first time then with respect to the date of issue.";

(d) under the heading "E. Non-Current Liabilities", in sub-heading "I. Borrowings", in item (i), sub- item (f) shall be omitted;

(e) under the heading "F. Current Liabilities",-

(i) in sub- heading "I. Borrowings", after item (iv), the following item shall be inserted, namely:-

"(v) Current maturities of Long term borrowings shall be disclosed separately".;

(ii) under the sub- heading "II. Other Financial Liabilities", items (a) and (b) shall be omitted;

(f) after the heading "FA. Trade Payables", and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

"FB. For trade payables due for payment, following ageing schedule shall be given:

Trade Payables aging schedule

(Amount in Rs.)

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment#				
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	Total
(i) MSME (ii) Others (iii) Disputed dues – MSME (iv)Disputed dues - Others					

similar information shall be given where no due date of payment is specified in that case disclosure shall be from the date of the transaction.

Unbilled dues shall be disclosed separately";

(g) after heading "J" and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

"JA. Where the company has not used the borrowings from banks and financial institutions for the specific purpose for which it was taken at the balance sheet date, the company shall disclose the details of where they have been used.";

(h) heading K and the entries relating thereto, shall be omitted;

(i) after heading K and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

"L. Additional Regulatory Information

(i) Title deeds of Immovable Properties not held in name of the Company

The company shall provide the details of all the immovable properties (other than properties where the Company is the lessee and the lease agreements are duly executed in favour of the lessee) whose title deeds are not held in the name of the company in following format and where such immovable property is jointly held with others, details are required to be given to the extent of the company's share.

IndiaCode

Relevant line item in the Balance sheet	Description of item of property	Gross carrying value	Title deeds held in the name of	Whether title deed holder is a promoter, director or relative# of promoter*/director or employee of promoter/director	Property held since which date	Reason for not being held in the name of the company**
PPE - Investment property - Non-current asset held for sale - others	Land Building Land Building Land Building	-	-	-	-	**also indicate if in dispute

#Relative here means relative as defined in the Companies Act, 2013.

*Promoter here means promoter as defined in the Companies Act, 2013.

(ii) The Company shall disclose as to whether the fair value of investment property (as measured for disclosure purposes in the financial statements) is based on the valuation by a registered valuer as defined under rule 2 of Companies (Registered Valuers and Valuation) Rules, 2017.

(iii) Where the Company has revalued its Property, Plant and Equipment (including Right-of-Use Assets), the company shall disclose as to whether the revaluation is based on the valuation by a registered valuer as defined under rule 2 of Companies (Registered Valuers and Valuation) Rules, 2017.

(iv) Where the company has revalued its intangible assets, the company shall disclose as to whether the revaluation is based on the valuation by a registered valuer as defined under rule 2 of Companies (Registered Valuers and Valuation) Rules, 2017.

(v) The following disclosures shall be made where Loans or Advances in the nature of loans are granted to promoters, directors, KMPs and the related parties (as defined under Companies Act, 2013), either severally or jointly with any other person, that are:

(a) repayable on demand; or

(b) without specifying any terms or period of repayment,

Type of Borrower	Amount of loan or advance in the nature of loan outstanding	Percentage to the total Loans and Advances in the nature of loans
Promoter		
Directors		
KMPs		
Related Parties		

IndiaCode

(vi) **Capital-Work-in Progress (CWIP)**

(a) For Capital-work-in progress, following ageing schedule shall be given:

CWIP aging schedule

(Amount in Rs.)

CWIP	Amount in CWIP for a period of				Total*
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
Projects in progress Projects temporarily suspended					

*Total shall tally with CWIP amount in the balance sheet.

(b) For capital-work-in progress, whose completion is overdue or has exceeded its cost compared to its original plan, following **CWIP completion schedule** shall be given**:

(Amount in Rs.)

CWIP	To be completed in			
	Less than1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years
Project 1 Project 2"				

**Details of projects where activity has been suspended shall be given separately.

(vii) Intangible assets under development:

(a) For Intangible assets under development, following ageing schedule shall be given:

Intangible assets under development aging schedule

(Amount in Rs.)

Intangible assets under development	Amount in CWIP for a period of				Total*
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
Projects in progress Projects temporarily suspended					

* Total shall tally with the amount of Intangible assets under development in the balance sheet.

(b) For Intangible assets under development, whose completion is overdue or has exceeded its cost compared to its original plan, the following **Intangible assets under development completion schedule** shall be given**:

IndiaCode

(Amount in Rs.)

Intangible assets under development	To be completed in			
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years
Project 1 Project 2				

**Details of projects where activity has been suspended shall be given separately.

(viii) Details of Benami Property held

Where any proceeding has been initiated or pending against the company for holding any benami property under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (45 of 1988) and rules made thereunder, the company shall disclose the following:-

(a) Details of such property,

(b) Amount thereof,

(c) Details of Beneficiaries,

(d) If property is in the books, then reference to the item in the Balance Sheet,

(e) If property is not in the books, then the fact shall be stated with reasons,

(f) Where there are proceedings against the company under this law as an abetter of the transaction or as the transferor then the details shall be provided,

(g) Nature of proceedings, status of same and company's view on same.

(ix) where the Company has borrowings from banks or financial institutions on the basis of security of current assets, it shall disclose the following:-

(a) whether quarterly returns or statements of current assets filed by the Company with banks or financial institutions are in agreement with the books of accounts;

(b) if not, summary of reconciliation and reasons of material discrepancies, if any to be adequately disclosed.

(x) **Wilful Defaulter***

Where a company is a declared wilful defaulter by any bank or financial Institution or other lender, following details shall be given:

(a) Date of declaration as willful defaulter,

(b) Details of defaults (amount and nature of defaults)

* wilful defaulter" here means a person or an issuer who or which is categorized as a willful defaulter by any bank or financial institution (as defined under the Companies Act, 2013) or consortium thereof, in accordance with the guidelines on wilful defaulters issued by the Reserve Bank of India.

(xi) **Relationship with Struck off Companies**

Where the company has any transactions with companies struck off under section 248 of the Companies Act, 2013 or section 560 of Companies Act, 1956, the Company shall disclose the following details, namely:-

IndiaCode

Name of struck off Company	Nature of transactions with struck-off Company	Balance outstanding	Relationship with the Struck off company, if any, to be disclosed
	Investments in securities		
	Receivables		
	Payables		
	Shares held by stuck off company		
	Other outstanding balances (to be specified)		

(xii) Registration of charges or satisfaction with Registrar of Companies (ROC)

Where any charges or satisfaction yet to be registered with ROC beyond the statutory period, details and reasons thereof shall be disclosed.

(xiii) **Compliance with number of layers of companies**

Where the company has not complied with the number of layers prescribed under clause (87) of section 2 of the Act read with the Companies (Restriction on number of Layers) Rules, 2017, the name and CIN of the companies beyond the specified layers and the relationship or extent of holding of the company in such downstream companies shall be disclosed.

(xiv) **Following Ratios to be disclosed:-**

(a) Current Ratio,

(b) Debt-Equity Ratio,

(c) Debt Service Coverage Ratio,

(d) Return on Equity Ratio,

(e) Inventory turnover ratio,

(f) Trade Receivables turnover ratio,

(g) Trade payables turnover ratio,

(h) Net capital turnover ratio,

(i) Net profit ratio,

(j) Return on Capital employed,

(k) Return on investment.

The company shall explain the items included in numerator and denominator for computing the above ratios. Further explanation shall be provided for any change in the ratio by more than 25% as compared to the preceding year.

(xv) **Compliance with approved Scheme(s) of Arrangements**

Where the Scheme of Arrangements has been approved by the Competent Authority in terms of sections 230 to 237 of the Companies Act, 2013, the company shall disclose that the effect of such Scheme of Arrangements have been accounted for in the books of account of the Company 'in accordance with the Scheme' and 'in accordance with accounting standards' and any deviation in this regard shall be explained.

IndiaCode

(xvi) **Utilisation of Borrowed funds and share premium:**

(A) Where company has advanced or loaned or invested funds (either borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) to any other person(s) or entity(ies), including foreign entities (Intermediaries) with the understanding (whether recorded in writing or otherwise) that the Intermediary shall

(i) directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the company (Ultimate Beneficiaries) or

(ii) provide any guarantee, security or the like to or on behalf of the Ultimate Beneficiaries;

the company shall disclose the following:-

(I) date and amount of fund advanced or loaned or invested in Intermediaries with complete details of each Intermediary.

(II) date and amount of fund further advanced or loaned or invested by such Intermediaries to other intermediaries or Ultimate Beneficiaries alongwith complete details of the ultimate beneficiaries.

(III) date and amount of guarantee, security or the like provided to or on behalf of the Ultimate Beneficiaries

(IV) declaration that relevant provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) and Companies Act has been complied with for such transactions and the transactions are not violative of the Prevention of Money-Laundering act, 2002 (15 of 2003).;

(B) Where a company has received any fund from any person(s) or entity(ies), including foreign entities (Funding Party) with the understanding (whether recorded in writing or otherwise) that the company shall

(i) directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party (Ultimate Beneficiaries) or

(ii) provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries, the company shall disclose the following:-

(I) date and amount of fund received from Funding parties with complete details of each Funding party.

(II) date and amount of fund further advanced or loaned or invested other intermediaries or Ultimate Beneficiaries alongwith complete details of the other intermediaries' or ultimate beneficiaries.

(III) date and amount of guarantee, security or the like provided to or on behalf of the Ultimate Beneficiaries

(IV) declaration that relevant provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) and Companies Act has been complied with for such transactions and the transactions are not violative of the Prevention of Money-Laundering act, 2002 (15 of 2003).

(iii) in Part II- Statement of Profit and Loss, under the heading "General Instructions for Preparation of Statement of Profit and Loss",-

(A) in paragraph 3, in item (b), the word "and" shall be omitted and after item (b), the following shall be inserted, namely:-

"(ba) Grants or donations received (relevant in case of section 8 companies only); and"

(B) in paragraph "7. Additional Information", after item (k) and the entries relating thereto, the following items shall be inserted, namely:-

"(l) Undisclosed income

The Company shall give details of any transaction not recorded in the books of accounts that has been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961 (such as, search or survey or any other relevant provisions of the Income Tax Act, 1961), unless there is immunity for disclosure under any scheme and shall also state whether the previously unrecorded income and related assets have been properly recorded in the books of account during the year.

(m) Corporate Social Responsibility (CSR)

Where the company covered under section 135 of the Companies Act, the following shall be disclosed with regard to CSR activities:-

(i) amount required to be spent by the company during the year,

(ii) amount of expenditure incurred,

(iii) shortfall at the end of the year,

(iv) total of previous years shortfall,

(v) reason for shortfall,

(vi) nature of CSR activities,

(vii) details of related party transactions, e.g.,contribution to a trust controlled by the company in relation to CSR expenditure as per relevant Accounting Standard,

(viii) where a provision is made with respect to a liability incurred by entering into a contractual obligation, the movements in the provision during the year shall be shown separately.

(n) details of Crypto Currency or Virtual Currency

Where the Company has traded or invested in Crypto currency or Virtual Currency during the financial year, the following shall be disclosed:-

(i) profit or loss on transactions involving Crypto currency or Virtual Currency,

(ii) amount of currency held as at the reporting date,

(iii) deposits or advances from any person for the purpose of trading or investing in Crypto Currency or virtual currency."

IndiaCode

(c) in Division III,-

(i) in Part I- Balance Sheet,-

(A) for the heading "Statement of Changes in Equity" and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:

"STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY

Name of the Company.....

A. Equity Share Capital

(1) Current reporting period

Balance at the beginning of the current reporting period	Changes in Equity Share Capital due to prior period errors	Restated balance at the beginning of the current reporting period	Changes in equity share capital during the current year	Balance at the end of the current reporting period

IndiaCode

(2) Previous reporting period

Balance at the beginning of the previous reporting period	Changes in Equity Share Capital due to prior period errors	Restated balance at the beginning of the previous reporting period	Changes in equity share capital during the previous year	Balance at the end of the previous reporting period

B. Other Equity

(1) Current reporting period

	Share application money pending allotment	**Equity component of compound financial instruments**	**Reserves and Surplus**										**Money received against share warrants**	**Total**
			Capital Reserve	Securities Premium	Other Reserves (specify nature)	Retained Earnings	Debt instruments through Other Comprehensive Income	Equity Instruments through Other Comprehensive Income	Effective portion of Cash Flow Hedges	Revaluation Surplus	Exchange differences on translating the financial statements of a foreign	Other items of Other Comprehensive Income (specify nature)		

											operation			
Balance at the beginning of the current reporting period														
Changes in accounting policy/prior period errors														
Restated balance at the beginning of the current reporting period														
Total Comprehensive Income for the current year														
Dividends														
Transfer to retained earnings														
Any other change (to be specified)														

IndiaCode

Balance at the end of the current reporting period														

(2) Previous reporting period

	Share application money pending allotment	**Equity component of compound financial instruments**	**Reserves and Surplus**										**Money received against share warrants**	**Total**
			Capital Reserve	Securities Premium	Other Reserves (specify nature)	Retained Earnings	Debt instruments through Other Comprehensive Income	Equity Instruments through Other Comprehensive Income	Effective portion of Cash Flow Hedges	Revaluation Surplus	Exchange differences on translating the financial statements of a foreign operation	Other items of Other Comprehensive Income (specify nature)		
Balance at the beginning of the previous reporting period														
Changes in accounting policy/prior period errors														

Indiacode

Restated balance at the beginning of the previous reporting period														
Total Comprehensive Income for the previous year														
Dividends														
Transfer to retained earnings														
Any other change (to be specified)														
Balance at the end of the previous reporting period														

IndiaCode

Note : Remeasurment of defined benefit plans and fair value changes relating to own credit risk of financial liabilities designated at fair value through profit or loss shall be recognised as a part of retained earnings with separate disclosure of such items alongwith the relevant amounts in the Notes or shall be shown as a separate column under Reserves and Surplus ”

(B) in the "Notes", under the heading "General Instructions For Preparation of Balance Sheet",-

(I) under the heading "(C) Receivables", after item (iii) the following shall be inserted, namely:-

"(iv) For trade receivables outstanding, following ageing schedule shall be given:

Trade Receivables aging schedule

(Amount in Rs.)

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment#					
	Less than 6 months	6 months -1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	Total
(i) Undisputed Trade receivables – considered good						
(ii) Undisputed Trade Receivables – which have significant increase in credit risk						
(iii) Undisputed Trade Receivables – credit impaired						
(iv) Disputed Trade Receivables–considered good						
(v) Disputed Trade Receivables – which have significant increase in credit risk						
(vi) Disputed Trade Receivables – credit impaired						

IndiaCode

similar information shall be given where no due date of payment is specified in that case disclosure shall be from the date of the transaction.

Unbilled dues shall be disclosed separately";

(II) under the heading "(H) Property, Plant and Equipment", for item(iii), the following shall be substituted, namely:-

"(iii) A reconciliation of the gross and net carrying amounts of each class of assets at the beginning and end of the reporting period showing additions, disposals, acquisitions through business combinations, amount of change due to revaluation (if change is 10% or more in the aggregate of the net carrying value of each class of Property, Plant and Equipment) and other adjustments and the related depreciation and impairment losses or reversals shall be disclosed separately.";

(III) under the heading "(J) Other Intangible Assets", for item (ii)), the following item shall be substituted, namely:-

"(ii) A reconciliation of the gross and net carrying amounts of each class of assets at the beginning and end of the reporting period showing additions, disposals, acquisitions through business combinations, amount of change due to revaluation (if change is 10% or more in the aggregate of the net carrying value of each class of intangible assets) and other adjustments and the related amortization and impairment losses or reversals shall be disclosed separately."

(IV) after heading (K) and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

"(KA) For trade payables due for payment, following ageing schedule shall be given:

Trade Payables aging schedule

(Amount in Rs.)

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment#				
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	Total
(i) MSME (ii) Others (iii) Disputed dues – MSME (iv)Disputed dues - Others					

similar information shall be given where no due date of payment is specified in that case disclosure shall be from the date of the transaction.

Unbilled dues shall be disclosed separately";

(V) under the heading "(S) Equity Share Capital", after item (m), the following shall be inserted, namely:-

"(n) A company shall disclose Shareholding of Promoters* as below:

Shares held by promoters at the end of the year				% Change during the year***
S. No	Promoter name	No. of Shares**	%of total shares**	
Total				

*Promoter here means promoter as defined in the Companies Act, 2013.

** Details shall be given separately for each class of shares

*** percentage change shall be computed with respect to the number at the beginning of the year or if issued during the year for the first time then with respect to the date of issue. "

IndiaCode

(VI) after heading "W", the following shall be inserted, namely:-

"(WA) Where the company has not used the borrowings from banks and financial institutions for the specific purpose for which it was taken at the balance sheet date, the company shall disclose the details of where they have been used.;

(WB) Additional Regulatory Information

(i) **Title deeds of Immovable Properties not held in name of the Company**

The company shall provide the details of all the immovable property (other than properties where the Company is the lessee and the lease agreements are duly executed in favour of the lessee) whose title deeds are not held in the name of the company in following format and where such immovable property is jointly held with others, details are required to be given to the extent of the company's share.

Relevant line item in the Balance sheet	Description of item of property	Gross carrying value	Title deeds held in the name of	Whether title deed holder is promoter, director or relative # of promoter/director or employee of promoter/director	Property held since which date	Reason for not being held in the name of the company**
PPE - Investment property -	Land Building Land Building	-	-	-	-	**also indicate if in dispute

Non-current asset held for sale - others	Land Building					

#Relative here means relative as defined in the Companies Act, 2013.

*Promoter here means promoter as defined in the Companies Act, 2013. ”

(ii) The company shall disclose as to whether the fair value of investment property (as measured for disclosure purposes in the financial statements) is based on the valuation by a registered valuer as defined under rule 2 of Companies (Registered Valuers and Valuation) Rules, 2017.

(iii) Where the Company has revalued its **Property, Plant and Equipment** (including Right-of-Use Assets), the company shall disclose as to whether the revaluation is based on valuation by a Registered Valuer as defined under rule 2 of Companies (Registered Valuers and Valuation) Rules, 2017.

(iv) Where the Company has revalued its Intangible assets, the company shall disclose as to whether the revaluation is based on valuation by a Registered Valuer as defined under rule 2 of Companies (Registered Valuers and Valuation) Rules, 2017.

(v) Following disclosures shall be made where loans or advances in the nature of loans are granted to promoters, directors, KMPs and the related parties (as defined under the Companies Act, 2013), either severally or jointly with any other person that are:

(a) repayable on demand or

(b) without specifying any terms or period of repayment

IndiaCode

Type of Borrower	Amount of loan or advance in the nature of loan outstanding	Percentage to the total Loans and Advances in the nature of loans
Promoter		
Directors		
KMPs		
Related parties		

(vi) **Capital-Work-in Progress (CWIP)**

(a) For Capital-work-in progress, following ageing schedule shall be given:

CWIP aging schedule

(Amount in Rs.)

CWIP	Amount in CWIP for a period of				Total*
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
Projects in progress Projects temporarily suspended					

*Total shall tally with CWIP amount in the balance sheet.

(b) For capital-work-in progress, whose completion is overdue or has exceeded its cost compared to its original plan, following **CWIP completion schedule** shall be given**:

(Amount in Rs.)

CWIP	To be completed in			
	Less than1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years
Project 1 Project 2"				

**Details of projects where activity has been suspended shall be given separately.

(vii) Intangible assets under development:

(a) For Intangible assets under development, following ageing schedule shall be given:

Intangible assets under development aging schedule

(Amount in Rs.)

Intangible assets under development	Amount in CWIP for a period of				Total*
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
Projects in progress Projects temporarily suspended					

IndiaCode

* Total shall tally with the amount of Intangible assets under development in the balance sheet.

(b) For Intangible assets under development, whose completion is overdue or has exceeded its cost compared to its original plan, following **Intangible assets under development completion schedule** shall be given**:

(Amount in Rs.)

Intangible assets under development	To be completed in			
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years
Project 1 Project 2				

**Details of projects where activity has been suspended shall be given separately.

(viii) Details of Benami Property held

Where any proceedings have been initiated or pending against the company for holding any benami property under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (45 of 1988) and rules made thereunder, the company shall disclose the following:-

(a) Details of such property,

(b) Amount thereof,

(c) Details of Beneficiaries,

(d) If property is in the books, then reference to the item in the Balance Sheet,

(e) If property is not in the books, then the fact shall be stated with reasons,

(f) Where there are proceedings against the company under this law as an abetter of the transaction or as the transferor then the details shall be provided.

(g) Nature of proceedings, status of same and company's view on same.

(ix) Where the Company has borrowings from banks or financial institutions on the basis of security of current assets, it shall disclose the following:-

(a) whether quarterly returns or statements of current assets filed by the Company with banks or financial institutions are in agreement with the books of accounts,

(b) if not, summary of reconciliation and reasons of material discrepancies if any to be adequately disclosed.

(x) Wilful Defaulter*

Where a company is a declared wilful defaulter by any bank or financial Institution or other lender, following details shall be given, namely:-

(a) date of declaration as wilful defaulter,

(b) details of defaults (amount and nature of defaults).

*wilful defaulter" here means a person or an issuer who or which is categorized as a wilful defaulter by any bank or financial institution (as defined under the Companies Act, 2013) or consortium thereof, in accordance with the guidelines on wilful defaulters issued by the Reserve Bank of India.

(xi) Relationship with Struck off Companies

Where the company has any transactions with the companies struck off under section 248 of Companies Act, 2013 or section 560 of Companies Act, 1956, the Company shall disclose the following details, namely:-

Name of struck off Company	Nature of transactions with struck-off Company	Balance outstanding	Relationship with the Struck off company, if any, to be disclosed
	Investments in securities		
	Receivables		
	Payables		
	Shares held by stuck off company		
	Other outstanding balances (to be specified)		

(xii) Registration of charges or satisfaction with Registrar of Companies (ROC)

Where any charges or satisfaction yet to be registered with ROC beyond the statutory period, details and reasons thereof shall be disclosed.

(xiii) Compliance with number of layers of companies

Where the company has not complied with the number of layers prescribed under clause (87) of section 2 of the Act read with Companies (Restriction on number of Layers) Rules, 2017, the name and CIN of the companies beyond the specified layers and the relationship/extent of holding of the company in such downstream companies shall be disclosed.

(xiv) Following Ratios shall be disclosed.

(a) Capital to risk-weighted assets ratio (CRAR)

(b) Tier I CRAR

(c) Tier II CRAR

(d) Liquidity Coverage Ratio

India Code

(xv) Compliance with approved Scheme(s) of Arrangements

Where any Scheme of Arrangements has been approved by the Competent Authority in terms of sections 230 to 237 of the Companies Act, 2013, the Company shall disclose that the effect of such Scheme of Arrangements have been accounted for in the books of account of the Company 'in accordance with the Scheme' and 'in accordance with accounting standards'. Any deviation in this regard shall be explained.

(xvi) Utilisation of Borrowed funds and share premium:

(A) Where company has advanced or loaned or invested funds (either borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) to any other person(s) or entity(ies), including foreign entities (Intermediaries) with the understanding (whether recorded in writing or otherwise) that the Intermediary shall

(i) directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the company (Ultimate Beneficiaries) or

(ii) provide any guarantee, security or the like to or on behalf of the Ultimate Beneficiaries;

the company shall disclose the following:-

(I) date and amount of fund advanced or loaned or invested in Intermediaries with complete details of each Intermediary.

(II) date and amount of fund further advanced or loaned or invested by such Intermediaries to other intermediaries or Ultimate Beneficiaries alongwith complete details of the ultimate beneficiaries.

(III) date and amount of guarantee, security or the like provided to or on behalf of the Ultimate Beneficiaries

(IV) declaration that relevant provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) and Companies Act has been complied with for such transactions and the transactions are not violative of the Prevention of Money-Laundering act, 2002 (15 of 2003).;

(B) Where a company has received any fund from any person(s) or entity(ies), including foreign entities (Funding Party) with the understanding (whether recorded in writing or otherwise) that the company shall

(i) directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party (Ultimate Beneficiaries) or

(ii) provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries, the company shall disclose the following:-

(I) date and amount of fund received from Funding parties with complete details of each Funding party.

(II) date and amount of fund further advanced or loaned or invested other intermediaries or Ultimate Beneficiaries alongwith complete details of the other intermediaries' or ultimate beneficiaries.

(III) date and amount of guarantee, security or the like provided to or on behalf of the Ultimate Beneficiaries

(IV) declaration that relevant provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) and Companies Act has been complied with for such transactions and the transactions are not violative of the Prevention of Money-Laundering act, 2002 (15 of 2003).;

(ii) in Part II- Statement of Profit and Loss, under the heading "General Instructions for Preparation of Statement of Profit and Loss", in paragraph "11. Additional Information", after item "*iv.",* and the entries relating thereto, the following items shall be inserted, namely:-

"v. undisclosed income

The Company shall give details of any transactions not recorded in the books of accounts that has been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961 (such as, search or survey or any other relevant provisions of the Income Tax Act, 1961), unless there is immunity for disclosure under any scheme. Also, state whether the previously unrecorded income and related assets have been properly recorded in the books of account during the year.

vi. Corporate Social Responsibility (CSR)

Where the company (NBFC) covered under section 135 of the Companies Act, the following shall be disclosed with regard to CSR activities:-

(a) amount required to be spent by the company during the year,

(b) amount of expenditure incurred,

(c) shortfall at the end of the year,

(d) total of previous years shortfall,

(e) reason for shortfall,

(f) nature of CSR activities,

(g) details of related party transactions, e.g., contribution to a trust controlled by the company in relation to CSR expenditure as per relevant Accounting Standard,

(h) where a provision is made with respect to a liability incurred by entering into a contractual obligation, the movements in the provision during the year shall be shown separately.

vii. details of Crypto Currency or Virtual Currency

Where the Company has traded or invested in Crypto currency or Virtual Currency during the financial year, the following shall be disclosed:-

(a) profit or loss on transactions involving Crypto currency or Virtual Currency,

(b) amount of currency held as at the reporting date,

(c) deposits or advances from any person for the purpose of trading or investing in Crypto Currency or virtual currency."

[F.No. 17/62/2015-CL-V Vol-I]

K. V. R. MURTY, Jt. Secy

Note : Schedule III of the Companies Act, 2013 came into force with effect from the 1st April, 2014 *vide* Notification S.O.902 (E), dated 26th March 2014 and subsequently amended vide Notification G.S.R. 679(E), dated 4th September 2015, vide Notification G.S.R. 404(E), dated 6th April 2016 and vide Notification G.S.R. 1022 (E), dated 11th October, 2018.

India Code

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.03.26 21:48:58 +05'30'